


NOT TO BE ISSUED

FOR REFERENCE ONLY.

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)



(खंड 14 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 14, छठा सत्र, 2001/1922 (शक)]

अंक 7, बुधवार, 28 फरवरी, 2001/9 फाल्गुन, 1922 (शक)

विषय	कॉलम
सामान्य बजट, 2001-2002	
श्री यशवन्त सिन्हा	1-48
वित्त विधेयक, 2001	48

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

बुधवार, 28 फरवरी, 2001/9 फाल्गुन, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सामान्य बजट, 2001-2002 *

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वित्त मंत्री जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह सब क्या है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। कृपया बात को समझे।

माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): मान्यवर, मैं वर्ष 2001-2002 का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

यह मेरा विनम्रतापूर्ण प्रस्तुतीकरण है। इस वर्ष हम जिन गम्भीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उन्हें गुजरात के भूकम्प से उत्पन्न त्रासदी एवं विनाश ने और भी भयंकर बना दिया है। मैं आशा करता हूँ कि इन चुनौतियों का सामना करने के मेरे प्रयत्न को पूरे सदन की सहानुभूति एवं समर्थन मिलेगा।

आर्थिक परिप्रेक्ष्य

भारतीय अर्थव्यवस्था में विगत कुछ वर्षों के निष्पादन की तरह विकास एवं उभरने की शक्ति दोनों मौजूद हैं। अनेक अप्रत्याशित गतिरोधों के बावजूद इस वर्ष समग्र आर्थिक विकास लगभग 6 प्रतिशत होने की आशा है। लगातार दूसरे वर्ष में भी मानसून अनियमित रहा है जिससे कृषि विकास में कमी आयी है। विश्व में पैट्रोलियम की कीमतें ऊंची बनी रहीं जिससे अर्थव्यवस्था पर समग्र रूप से दबाव बना रहा और इसके परिणामस्वरूप गत वर्ष में मुद्रास्फीति काफी बढ़ी है। सौभाग्य से ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोत्तरी के बावजूद अनिवार्य वस्तुओं तथा विनिर्मित उत्पादों की कीमतें समग्र रूप से स्थिर रही हैं। ऊर्जा को छोड़कर मुद्रास्फीति वर्ष के दौरान लगभग 4 प्रतिशत थी, विदेशी मुद्रा रिजर्व और जन खाद्य भण्डारों के अच्छे रिकार्ड स्तर के कारण अर्थव्यवस्था को सुरक्षा मिली। पिछले वर्ष के सराहनीय निर्यात निष्पादन में और सुधार हुआ और अप्रैल-दिसम्बर, 2000 में डालर के सन्दर्भ में निर्यातों में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई।

1991 में शुरू किये गये आर्थिक सुधारों को अब दस वर्ष हो चुके हैं। इस अवधि के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था में वर्ष 1992-93 से प्रतिवर्ष औसत 6.4% की दर से वृद्धि हुई है जो 1980 के दशक की 5.8% की तुलना में है। गरीबी का प्रतिशत 1993-94 में 36% से कम होकर अब 26% या इससे कम हो गया है।

जहां आर्थिक सुधारों ने देश को काफी अधिक सुरक्षित और निरन्तर प्रगति की राह पर पहुंचाया है, वहां हमारी कुछ गम्भीर चिन्ताएं भी हैं और हम सन्तुष्ट होकर नहीं बैठ सकते।

- कृषि सुधार अपर्याप्त रहे हैं और हमारी कृषि को मानसून की असफलता निरन्तर झेलनी पड़ रही है।
- बड़े औद्योगिक क्षेत्र के सुधारों के बावजूद औद्योगिक विकास तेज होकर दशमांक तक भी नहीं पहुंच पाया है जैसी कि आशा की गयी थी।
- गत दशक में अपर्याप्त राजकोषीय समायोजन सर्वाधिक कठिन समस्या बनी रही है।

*ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3273/2001

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

- ब्याज भुगतान अब केन्द्र के कर राजस्वों का 69 प्रतिशत
- सब्सिडियां अवहनीयता के स्तरों तक लगातार बढ़ती जा रही हैं और वह पात्र लाभार्थियों तक पहुंच भी नहीं पाती हैं।
- सरकार की पेंशन देनदारी बोझिल होती जा रही है।
- कुल सरकारी क्षेत्र की बचतों में गिरावट के कारण आधार सुविधा एवं सामाजिक क्षेत्रों में सरकारी निवेश अपर्याप्त है।
- ऊंची मौजूदा ब्याज दरों और अपर्याप्त आधार सुविधा के कारण निजी निवेश अवरुद्ध है।

बजट कार्यनीति

इस प्रकार पिछले दशक में आर्थिक सुधारों को अनेक उपलब्धियों के बावजूद हमें अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए अभी काफी कुछ करना है। अगले दशक में अधिक वृद्धि का वातावरण तैयार करने के लिए सुधारों को और तेज करने की तत्काल आवश्यकता है। हमारे बढ़ते हुए भारी ऋणों का बोझ हमारी आने वाली पीढ़ियों पर न पड़े, इसके लिए राजकोषीय समायोजन में हमें अपने प्रयत्न बढ़ाने हैं। पिछले 20 वर्षों में अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण रूप से तेजी आयी है। अगले 20 वर्षों में इससे भी अधिक वृद्धि प्राप्त करने की हमारी आकांक्षा होनी चाहिए।

अतः वृद्धि के इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बजट कार्यनीति को निम्नलिखित सुनिश्चित करना है:

- * कृषि क्षेत्र के सुधारों में तेजी लाना और खाद्य अर्थव्यवस्था का बेहतर प्रबन्धन।
- * आधारभूत सुविधा निवेश में वृद्धि, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजारों में निरंतर सुधार, आर्थिक क्रियाकलापों के लिये बाधक शेष बोझिल नियंत्रणों को हटाकर संरचनात्मक सुधारों को व्यापक बनाना।
- * बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के द्वारा मानव संसाधन विकास।
- * अनुत्पादनकारी व्यय का सख्ती से नियंत्रण, सब्सिडियों को युक्तिसंगत बनाना और सरकारी व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाना।

* निजीकरण प्रक्रिया को बढ़ाना और सरकारी उद्यमों का पुनर्गठन।

* कराधार बढ़ाकर और उचित एवं समान कर संरचना लागू करके राजस्व बढ़ाना।

कृषि एवं ग्रामीण विकास

कृषि एवं ग्रामीण विकास के संबंध में जैसाकि मैंने देखा है, कृषि क्षेत्र में सुधार अपर्याप्त रहे हैं और इन्हें बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार ने स्वतंत्र भारत में पहली बार एक अपूर्व राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की है।

कृषि उत्पादन के लिए पर्याप्त ऋण उपलब्धता का प्रावधान महत्वपूर्ण है। वाणिज्यिक बैंकों, सहकारिता बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सांस्थानिक माध्यमों से कृषि को कुल उपलब्ध ऋण इस वर्ष 51,500 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंचने का अनुमान किया गया है जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि है। वर्ष 2001-2002 में इससे बढ़कर 64000 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंचने की आशा है जो 24 प्रतिशत की वृद्धि होगी। कृषि क्षेत्र के निरंतर सुदृढ़ विकास को सुनिश्चित करने के लिए मैं निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करता हूँ:-

- o "नाबार्ड" के साथ 1995-96 में स्थापित ग्रामीण आधार सुविधा विकास निधि (आई.आर.डी.एफ.) का प्रचालन ग्रामीण आधार सुविधा के उन्नयन में काफी सफल रहा है जिसमें अभी तक लगभग 1,84,000 परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। राज्यों की सहायता के लिए मैंने नाबार्ड द्वारा लगायी गयी ब्याज दर 11.5 प्रतिशत से कम करके 10.5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। आर.आई.डी.एफ.-VII की संचित निधि (कार्पस) अगले वर्ष 4500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए की जाएगी।
- * किसान क्रेडिट कार्ड की नई स्कीम काफी सफल सिद्ध हुई है। वर्ष 1998-99 में इसे शुरू करने के वर्ष से लगभग 110 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। मैं हमारे बैंकों से इस कार्यक्रम में तेजी और अगले तीन वर्षों के भीतर सभी पात्र किसानों को इसके अन्तर्गत लाने के लिए कह रहा हूँ।
- * मैं बैंकों से यह भी कह रहा हूँ कि वह अन्य क्रेडिट कार्डों की तरह किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए एक व्यक्तिगत बीमा पैकेज प्रदान करें जिससे आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के लिए उनको क्रमशः

अधिकतम 50,000 रुपए और 25,000 रुपए का बीमा लाभ दिया जा सके। किश्त की अदायगी की साझेदारी कार्ड जारी करने वाली संस्थाओं द्वारा की जाएगी न कि किसानों द्वारा।

- * "नाबार्ड" और "सिडबी" से चालू वर्ष के दौरान, एक लाख स्व-सहायता समूहों से जुड़ने के लिए कहा गया है। "नाबार्ड" अगले महीने के अन्त तक इस लक्ष्य को पार करने के लिए स्वयं अच्छी तरह तैयार है। मैं वर्ष 2001-2002 के दौरान एक लाख अतिरिक्त स्व-सहायता समूहों को "नाबार्ड" से जोड़ने की आशा करता हूँ जिससे अतिरिक्त, 20 लाख परिवारों को क्रेडिट सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी। बंटाईदार और असामी कृषक भी इस स्कीम के पात्र होंगे और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समूहों की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। "नाबार्ड" और भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक के द्वारा 40 करोड़ रुपए के अंशदान से "नाबार्ड" में एक लघु वित्त विकास निधि की भी स्थापना कर दी गयी है।
- * मैंने पिछले वर्ष "नाबार्ड" को पूंजी अभिलाभ कर छूट बांड जारी करने की अनुमति दी थी। इससे "नाबार्ड" को सामान्य से कम ब्याज दरों पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जुटाने में मदद मिली है जिससे इसकी निधि लागत में कमी हुई है, मैं नाबार्ड के लिए यह कर छूट जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ।
- o "नाबार्ड" में स्थापित जल संभरण विकास निधि के संसाधनों का उपयोग इन स्कीमों में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने और जल उपयोगकर्ता संघों द्वारा इन स्कीमों के कार्यान्वयन, संचालन और अनुरक्षण के लिये किया जाएगा।

वर्ष 1999 में मैंने खराब होने वाली सामग्रियों के लिए शीत-भण्डारों के निर्माण हेतु ऋण सम्बद्ध सब्सिडी स्कीम की घोषणा की थी। अभी तक "नाबार्ड" और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) ने 9.69 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता निर्माण के लिए 161 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। वर्ष 2000-2001 के दौरान, इन शीत भण्डारों की स्थापना के लिए सरकार 78 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान कर रही है। अब मैं ग्रामीण गोदामों को भी इस स्कीम के अन्तर्गत लाने का प्रयास करता हूँ। इसका दायरा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडियों में उचित रूप से बढ़ोत्तरी की जाएगी। ऋणों के लिए पर्याप्त दीर्घकालिक अदायगी अवधि होगी और सहकारिता बैंकों,

वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेकर गोदामों का निर्माण करने में व्यक्तियों, सहकारी समितियों और अन्यो को सुविधा होगी।

इस स्कीम से छोटे किसानों को अपनी भण्डारण क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी जिससे वह अपने उत्पाद लाभकारी मूल्यों पर बेच सकेंगे। फसलों के भण्डारण के निधि पोषण के लिए "नाबार्ड" का प्रस्ताव अपनी ब्याज दर 10 प्रतिशत से घटाकर 8.5 प्रतिशत करने का है। विशेषकर छोटे किसानों को अपनी मजबूरन बिक्रियों से बचने में इस स्कीम से फायदा होगा।

कृषि पद्धतियों के विविधीकरण और आधुनिकीकरण से कृषि के लिये सहायता एवं विस्तार सेवाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिये "नाबार्ड" की सहायता से कृषि स्नातकों द्वारा कृषि क्लीनिक्स एवं कृषि-कारोबार केन्द्रों की स्थापना हेतु एक स्कीम आरंभ की जाएगी। यह केन्द्र मिट्टी एवं सामग्री परीक्षण सुविधाओं एवं अन्य परामर्शी सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करेंगे। यह प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण एवं विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ करेंगे और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों को स्व-रोजगार के अवसर भी प्रदान करेंगे। "नाबार्ड" के पुनर्वित्त के साथ बैंकों द्वारा इन केन्द्रों की स्थापना के लिये आसान शर्तों पर ऋण प्रदान किये जायेंगे।

फसलों के विविधीकरण और उन्नत प्रौद्योगिकी के अंगीकरण के द्वारा पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में फसल-उत्पादकता सुधारने की काफी संभावनायें हैं। इन क्षेत्रों में भारी मात्रा में भूमिगत जल संसाधन भी हैं जिनका उपयोग नहीं किया गया है। "पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिये फार्म में ही जल प्रबंधन" पर एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम हेतु 61 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई है।

सदन को सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि पिछले वर्ष मेरे द्वारा घोषित "पूर्वोत्तर राज्यों में एकीकृत बागवानी विकास के लिये प्रौद्योगिकी मिशन" हेतु मैंने 38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

ग्रामीण सड़कें

ग्रामीण लोगों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये समयबद्ध कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से पिछले वर्ष मैंने प्रधान मंत्री ग्रामोद्योग योजना नामक एक नई स्कीम चलाने की घोषणा की थी। इसकी अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, विशेषकर ग्रामीण संयोजनता के उद्देश्य से, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 25 दिसम्बर, 2000 को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारम्भ किया गया है। वर्ष 2000-2001 के लिये 2500 करोड़ रुपए का केन्द्रीय आबंटन प्रदान किया गया था। आगामी वर्ष के लिये मैं पुनः

[श्री यशवन्त सिन्हा]

2500 करोड़ रुपए प्रदान कर रहा हूँ। ग्रामीण सड़कों के विकास के लिये डीजल-उपकर का 50% निर्धारित किया गया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

यह एक चिन्ता का विषय है कि नियोजित विकास के 50 वर्ष बाद भी अभी लगभग 80,000 गांव ऐसे हैं जहां बिजली उपलब्ध नहीं है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण सुधारने के लिये उपायों का एक पैकेज शुरू किया जा रहा है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- * अगले 6 वर्षों में अधिकांश शेष गांवों का विद्युतीकरण पूरा करना।
- * प्रधान मंत्री ग्रामोद्योग योजना के अधीन ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिये उन राज्यों को सहायता-विस्तार, जिनकी निधियां बढ़ाई जा रही हैं।
- * दलित बस्तियों, जनजातीय एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के घरों के शीघ्र विद्युतीकरण के लिये राज्य विद्युत बोर्डों को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) की ऋण सहायता बढ़ाना।
- * तीव्रकृत विद्युत विकास कार्यक्रम के अधीन गांवों में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता सुधारना, आर.ई.सी. सहायित ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण-तंत्र का विस्तार।
- * ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिये आर.आई.डी.एफ. से कम से कम 750 करोड़ रुपए की धनराशि का निर्धारण।
- * आर.ई.सी. आयकर अधिनियम की धारा 54डग के अधीन नाबार्ड और एन.एच.ए.आई. के साथ पूंजी अभिलाष कर छूट बाण्ड जारी करने की स्वीकृति देकर आर.ई.सी. के संसाधनों को बढ़ाना।

खाद्य अर्थव्यवस्था प्रबंधन

खाद्य अर्थव्यवस्था के उचित प्रबंधन के लिये उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमारी नीति को मात्र कमियों के बजाय अधिशेषों पर कार्रवाई करने की ओर परिवर्तित करना होगा। खाद्यान्नों की उगाही की भारत सरकार की वर्तमान व्यवस्था और राज्य प्रबंधित लोक वितरण प्रणाली से अनेक समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। जहां सब्सिडी, बजट अनुमानों में 8210 करोड़ रुपए से बढ़कर इस वर्ष के संशोधित अनुमानों में 12,125 करोड़ रुपए पर आ गई है, वहां संतुष्टिकरण स्तर नीचे आ गया है। अतः मैं संबंधित राज्यों में लोक वितरण प्रणाली के लिये खाद्यान्नों की उगाही एवं वितरण दोनों में राज्य सरकारों को अधिक बढ़ी भूमिका प्रदान करता हूँ। सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न प्रदान करने के बजाय राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि

वह सब्सिडी वाली दरों पर गरीबी की रेखा से नीचे क परिवारों के लिये खाद्यान्नों की उगाही एवं उसका वितरण कर सकें। खाद्य सुरक्षा रिजर्व बनाये रखने के लिये और जो राज्य सरकारों अपनी ओर से यह कार्य उन्हें सौंपेंगी, भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न उगाही जारी रखेगा। इन व्यवस्थाओं को कार्यान्वित करने के ब्यौर यथाशीघ्र राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किये जायेंगे।

अनेक निषेधात्मक नियंत्रणों एवं विनियमों के अस्तित्व से कृषि क्षेत्र अभी भी बाधित है। अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 में उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिये अधिनियम के अधीन अनिवार्य वस्तुओं के रूप में निर्दिष्ट कुछ वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण के नियंत्रण का प्रावधान है। राज्य सरकारों ने इस अधिनियम के अंतर्गत अनेक नियंत्रण आदेश जारी किये हैं जो कुछ खाद्यान्नों एवं कृषि उत्पादों की खुली आवाजाही को रोकते हैं। वर्तमान परिवर्तित स्थितियों में खाद्यान्नों एवं कृषि उत्पादों को लाने-ले-जाने तथा भण्डारण पर अनुचित प्रतिबन्ध किसानों के लिये हतोत्साहन का कार्य कर रहा है।

अतः सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रचालन की पुनरीक्षा करने और खाद्यान्नों तथा कृषि उत्पादों को स्वतंत्र रूप से एक से दूसरे राज्यों में लाने-ले जाने और ऐसी वस्तुओं का स्टॉक रखने पर लगाये गये अनेक प्रतिबन्धों को हटाने का प्रस्ताव करती है। सरकार उक्त अधिनियम के अधीन घोषित अनिवार्य वस्तुओं की सूची की भी पुनरीक्षा करेगी और उनकी न्यूनतम आवश्यक संख्या रखेगी। मेरे सहयोगी माननीय खाद्य मंत्री, राज्य सरकारों से परामर्श के बाद इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।

आधार सुविधायें

अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास आधार सुविधा क्रियाकलापों में पर्याप्त निवेश पर निर्भर करता है। यहां पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा समुचित उपभोक्ता शुल्क लगाने का है जो निवेश को पर्याप्त प्रतिफल प्रदान करने के लिये आवश्यक है। देश में आधारभूत सुविधाओं के प्रावधान के लिये 50 वर्षों में सरकारी क्षेत्र में लोक-संसाधनों का निवेश किया गया है। इसका एक परिणाम यह रहा है कि उपभोक्ता शुल्क अनिवार्यतः राजनैतिक रूप से निर्धारणीय बन गये हैं। समय के साथ-साथ ऐसे न्यून उपभोक्ता शुल्कों में निहित 'नान-मेरिट सब्सिडीज' बढ़ते-बढ़ते सकल घरेलू उत्पाद के 10% से अधिक हो गई हैं जो सम्मिलित रूप से केन्द्र और राज्य सरकारों के कुल राजकोषीय घाटे के बराबर हैं। अतः यह सभी स्तरों पर महसूस किये जा रहे राजकोषीय दबाव का एक बड़ा कारण बन गई हैं।

मैं समझता हूँ कि अब यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि संपूर्ण देश में इस पर अनिवार्य रूप से चर्चा करने की जरूरत है। चुनौती यह है कि उचित उपभोक्ता शुल्क इस तरह से लगाया जाये

कि गरीबों को इससे संरक्षण मिले और जो इसका भुगतान कर सकते हैं, वह करें, इस पर सहमति हो। तभी हम सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में इन अनिवार्य सेवाओं के लिये निवेश बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। इसका एक प्रमुख उदाहरण विद्युत क्षेत्र है।

विद्युत

आर्थिक विकास में तेजी लाने में विद्युत कितना महत्वपूर्ण है, इस पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। राज्य विद्युत बोर्डों की अंतर्निहित सभिसडियों की कुल लागत इस वर्ष लगभग 36,000 करोड़ रुपए है। क्रास-सभिसडी और राज्यों की आर्थिक सहायता की गणना करने पर सम्मिलित रूप से सभी राज्य विद्युत बोर्डों का वास्तविक वाणिज्यिक नुकसान लगभग 24,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इन आंकड़ों में पारेषण एवं वितरण की तथा चोरी एवं डकैती की असाधारण भारी हानियां शामिल हैं।

यद्यपि इन सभी नुकसानों को राज्य विद्युत बोर्ड एवं राज्य सरकारें वहन करती हैं, परन्तु मैं इस विषय पर अपनी चिन्ता व्यक्त करना चाहता हूँ कि यह एक भारी राष्ट्रीय नुकसान है और यह केन्द्र सरकार के उपक्रमों को भी प्रभावित करता है। केन्द्र सरकार की जन सुविधाओं के लिए राज्य विद्युत बोर्डों एवं अन्य की कुल देनदारी अब 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। यदि यह संसाधन उपलब्ध होते तो देश को सभी के फायदे के लिये विद्युत क्षेत्र के विस्तार में पर्याप्त निवेश करने में कोई कठिनाई नहीं होती। बिजली की चोरी रोकी जानी चाहिए और लाभकारी शुल्क लगाये जाने चाहिए।

सुधार प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय सक्षमता बहाल करना है। राष्ट्रीय विकास परिषद संकल्प, 1992 तथा 1996 में तैयार किये गये न्यूनतम राष्ट्रीय कार्यवाई कार्यक्रम और फरवरी, 2000 के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई सहमति के आधार पर राज्य सरकारों के साथ किये गये समझौता ज्ञापन में बनाये गये विशिष्ट उपलब्धि-मानदण्डों के अनुसार राज्य विद्युत बोर्डों के सुधार कार्यक्रमों में केन्द्र सरकार तेजी ला रही है। इन समझौता ज्ञापनों में निम्नलिखित विशिष्ट उपलब्धि-मानदण्ड शामिल हैं:-

- * दिसम्बर, 2000 तक 100 प्रतिशत मीटर प्रणाली संस्थापन का एक समयबद्ध कार्यक्रम।
- * सभी स्तरों पर ऊर्जा की लेखा परीक्षा।
- * बिजली की चोरी में कमी और उसे समाप्त करने का एक विशिष्ट कार्यक्रम।
- * एस.ई.आर.सी. द्वारा शुल्क निर्धारण एवं उसका अनुपालन।
- * वितरण कार्य का वाणिज्यीकरण, और
- * राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन।

इस कार्य के महत्त्व को प्रदर्शित करने के लिए प्रधान मंत्री 3 मार्च, 2001 को राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक आयोजित करेंगे।

पांच राज्यों के साथ पहले ही समझौता ज्ञापन निष्पादित किया जा चुका है, और अधिक राज्य सुधार प्रक्रिया को अपनायेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। तदनुसार तीव्रकृत विद्युत विकास कार्यक्रम (ए.पी.डी.पी.) के लिए योजना आबंटन 2000-2001 में 1000 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ऐसे सुधार करने वाले राज्यों को ए.पी.डी.पी. के अधीन प्राथमिकता दी जाएगी। वित्तीय सक्षमता बहाल करने की कुंजी वितरण सुधार है। ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत राजकोषीय सुधार प्रोत्साहन निधि से सहायता को अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत क्षेत्र के सुधारों की उपलब्धियों के साथ जोड़ा जाएगा। सुधार करने वाले राज्य केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सी.पी.एस.यू.) से रा.वि. बोर्डों को तरजीही आबंटन, उत्पादन एवं वितरण में सी.पी.सी.यू. द्वारा अतिरिक्त निवेश और विदेशी सहायता के तरजीही आबंटन के रूप में केन्द्र सरकार से सहायता भी प्राप्त करेंगे।

विद्युत क्षेत्र में सुधार प्रक्रिया को तेज करने और इस क्षेत्र के सभी विद्यमान केन्द्रीय कानूनों के एकीकरण के लिये मेरे सहयोगी विद्युत मंत्री संसद के इस सत्र के दौरान विद्युत विधेयक, 2001 प्रस्तुत करेंगे।

केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत सेवा हेतु योजना परिव्यय इस वर्ष 9,194 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2001-2002 में 10,030 करोड़ रुपए किया जा रहा है। यह विद्युत क्षेत्र में सुधारों के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के विद्युत निवेश को बढ़ाने की केन्द्र सरकार की बचनबद्धता को प्रदर्शित करता है।

सड़कें

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एन.एच.डी.पी.) इस देश के लिए एक नई सड़क कार्य-योजना को प्रदर्शित करता है। इसका अभूतपूर्व विस्तार एक बिल्कुल अलग किस्म की संयोजनता एवं गतिशीलता प्रदान करने की सरकार की उत्कट अभिलाषा का प्रतीक है। सड़क विकास कार्यक्रम में तेजी लाने में सरकार की सफलता की कुंजी सड़क उपयोग के लिये उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में पेट्रोल और डीजल पर उपकर लगाने की इसकी साहसिक नीति में निहित है। दिसम्बर 2003 तक पूरे किये जाने वाले चरण-1 के लिये संसाधन पहले ही निर्धारित किये जा चुके हैं। 600 कि.मी. के पूरे किये गये प्रखण्डों के अलावा स्वर्ण चतुर्भुज के 1500 कि.मी. से अधिक मार्ग के लिये कार्य पहले ही सौंपा जा चुका है। शेष हिस्से का कार्य इस वर्ष के मध्य तक किये जाने की आशा है।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

उपकर ने ग्रामीण सड़कों, जिला सड़कों, राज्य सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों सहित देश में एकीकृत सड़क विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। उपकर निधि से राज्य सड़कों के लिये राज्यों को 962 करोड़ रुपए उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस क्षेत्र के लिए 2001-2002 में कुल आयोजना परिव्यय 93 प्रतिशत बढ़ाकर 8727 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

दूर-संचार

सफलता का एक अन्य क्षेत्र दूर संचार क्षेत्र है। प्राथमिक एवं सेलुलर सेवाओं, राष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवाओं, इंटरनेट सेवा और दूर संचार सेवा विभाग के निगमीकरण से संबंधित 1999 की नई दूर संचार नीति में घोषित लगभग सभी नीतिगत उपायों को कार्यान्वित कर लिया गया है। सभी सेवा घटकों में प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

मार्च 2001 तक संपूर्ण टेलीफोन सघनता प्रति सौ पर 3.5 होने की आशा है जो केवल दो वर्ष पहले की तुलना में लगभग दुगुनी है। इसके अलावा नई प्रतियोगिताओं ने उपभोक्ताओं के लिये कीमतों में पहले ही कमी ला दी है। मुझे यह भी बताया गया है कि देश में अब लगभग 800,000 (आठ लाख) एस.टी.डी./आई.एस.डी./स्थानीय बूथ हैं जो लगभग सभी उपभोक्ताओं को टेलीफोन सेवा उपलब्ध करा रहे हैं और काफी रोजगार भी उत्पन्न कर रहे हैं।

इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी परिवर्तन की अनिवार्यताओं को समझते हुए सरकार दूर संचार, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना तथा प्रसारण क्षेत्रों को एकीकृत तरीके से शामिल करने के लिये समविकासिता विधेयक (कन्वरजेंस बिल) पेश करने का प्रस्ताव करती है।

पत्तन

पत्तन क्षेत्र के बारे में मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पत्तनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिये तैयार किये गये नीतिगत उपायों का भी सफलता के साथ कार्यान्वयन कर लिया गया है। बड़े भारतीय पत्तनों में समग्र क्षमता इस वर्ष 314 मिलियन टन और 2001-2002 के अन्त तक 375 मिलियन टन पर पहुंचने की आशा है और छोटे पत्तनों की क्षमता में भी काफी बढ़ोत्तरी होगी। अब बड़े पत्तनों में पर्याप्त से अधिक क्षमता है। अब जलयानों को लंगर डालने (बर्थ) के लिये प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, जैसा कि पहले होता था।

इनोर पत्तन का पहले ही निगमीकरण कर दिया गया है और न्यू मुम्बई स्थित जवाहर लाल नेहरू पत्तन अगला लक्ष्य है और अनुभव के आधार पर अन्य बड़े पत्तनों का भी निगमीकरण किया

जा सकता है जिससे वह बाजार में संसाधन जुटा सके। आर्थिक शुल्क स्तरों के निर्धारण से सफल निवेश संभव बनाया जा रहा है। बड़े पत्तनों के लिये टैरिफ (शुल्क) प्राधिकरण के गठन से इन शुल्कों को निरंतर पारदर्शी एवं निष्पक्ष आधार पर और आगे युक्तिसंगत बनाया जा रहा है।

वित्तीय क्षेत्र एवं पूंजी बाजार

पिछले कुछ वर्षों के दौरान वित्तीय क्षेत्र एवं पूंजी बाजारों में सुधारों को लाने में काफी प्रगति हुई है। मैं इसे जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ।

ऋण बाजार

भारतीय शेयर बाजार एशिया में सबसे पुराना है। "सेबी" (भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड) के सृजन से शेयर बाजार की कार्यप्रणाली में काफी अधिक पारदर्शिता एवं स्वचालनता आ गई है। अब ऋण बाजार को विकसित एवं व्यापक बनाने की जरूरत है। यह लघु निवेशकों एवं सांस्थानिक निवेशकों के लिये समान रूप से काफी लाभदायक होगा। आधारभूत सुविधा क्षेत्र को दीर्घकालिक निधियां जुटाने हेतु विशेषकर बीमा क्षेत्र को खोलकर, समर्थ बनाया जाएगा।

सामान्य रूप से एक पारदर्शी एवं सक्रिय ऋण बाजार और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूति बाजार विकसित करने के लिये मैं निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करता हूँ:-

- भारतीय रिजर्व बैंक के सक्रिय प्रोत्साहन के अधीन जिसका भारतीय स्टेट बैंक मुख्य प्रवर्तक होगा, एक "क्लीयरिंग कारपोरेशन" की स्थापना की जाएगी और इसके जून, 2001 तक स्थापित होने की आशा है। यह विदेशी मुद्रा लेन-देनों के व्यवस्थापन में भी मददगार होगा।
- आदेश-संचालित स्क्रीन आधारित प्रणाली के जरिये सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री की जाएगी।
- नीलामियों में पारदर्शी इलैक्ट्रॉनिक बोलियों और वास्तविक समय आधार पर सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जून, 2001 तक एक इलैक्ट्रॉनिक बातचीत-शुदा लेन-देन प्रणाली स्थापित की जाएगी।
- निधियों के सरल एवं त्वरित अंतरण के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अगले वर्ष तक इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (ई.एफ.टी.) एवं वास्तविक समय सकल व्यवस्थापन प्रणालियां (आर.टी.जी.एस.) स्थापित की जाएंगी।

- स्ट्रिप्स, जीरो कूपन बाण्ड, डीप-डिस्काउंट बाण्ड और इसी तरह के बाण्ड जारी करने को बढ़ावा देने के लिये केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण जारी किए जा रहे हैं।
- पुराने लोक ऋण अधिनियम के स्थान पर सरकारी प्रतिभूति अधिनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- प्रतिभूतिकरण पर व्यापक कानून बनाया जाएगा।

इन क्रियाकलापों की मानिटरिंग एवं कार्यान्वयन के लिए मैं भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, शेयर बाजारों और वित्त मंत्रालय को शामिल करके एक छोटा ग्रुप स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ, ताकि ऋण बाजार अगले वर्ष सक्रिय हो जाये।

बैंकिंग क्षेत्र

पिछले दशक में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार चरणबद्ध तरीके से तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। परन्तु बैंकों की अनुप्रयोज्य आस्तियों (एन.पी.ए.) की समस्या बनी हुई है। एन.पी.ए. की वसूली पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है:-

- सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 2000-2001 में 2 लाख खातों से 800 करोड़ एन.पी.ए. की वसूली की है।
- निवल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में निवल एन.पी.ए. 1993-94 में 14.5 प्रतिशत की तुलना में 1999-2000 में लगभग आधा अर्थात् 7.4 प्रतिशत है।
- 22 ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डी.आर.टी.) और 5 अपीली न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई है।
- वर्ष 2001-2002 के दौरान 7 और डी.आर.टी. स्थापित किये जायेंगे।

मैं एक समुचित कानून लाने का भी प्रस्ताव करता हूँ जो चूक के मामलों में प्रतिभूतियों के पुरोबन्ध एवं प्रवर्तन में सहायक होगा ताकि संस्थायें अपनी बकाया धनराशियों की वसूली कर सकें।

बैंकिंग उद्योग में नई प्रतियोगिताओं के परिप्रेक्ष्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का प्रबन्धन सुदृढ़ करना आवश्यक है। मैं बैंक प्रबन्धकों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। अपनी भर्ती कार्यनीति तैयार करने और इसे कार्यान्वित करने में बैंक प्रबन्धनों को भी अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना अनिवार्य है। अतः मैं बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह 31 जुलाई, 2001 या इससे पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से किया जाएगा। भविष्य में सभी भर्तियाँ बैंकों द्वारा स्वयं की जायेंगी।... (व्यवधान)

पूंजी लेखा उदारीकरण

लगभग 10 वर्ष पहले तक सभी विदेशी मुद्रा लेन-देनों को सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सख्ती से नियंत्रित किया जाता था। उत्तरोत्तर यह नियंत्रण समाप्त हो गये हैं और वर्तमान खाता पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो गया है। हमने पूंजी लेखा का भी कतिपय प्रयोजनों के लिए उदारीकरण कर दिया है। मैं पूंजी लेखे के उदारीकरण हेतु और कदम उठाने का प्रस्ताव करता हूँ जो इस प्रकार है:-

- विदेश में निवेश करने की इच्छुक भारतीय कंपनियों अब तीन वर्ष के मुनाफे की शर्त के बिना स्वतः मार्ग से वार्षिक आधार पर 50 मिलियन अमरीकी डालर तक का निवेश कर सकती हैं।
- जिन कंपनियों ने ए.डी.आर./जी.डी.आर. जारी किये हैं अब वर्तमान 50% की सीमा के स्थान पर इन प्राप्तियों के 100% तक का विदेशी निवेश कर सकती हैं।
- अच्छे रिकार्ड वाली बड़ी धनराशियों का निवेश करने की इच्छुक कंपनियों अब विदेशी निवेशों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अग्रिम ब्लाक-आबंटन प्राप्त कर सकती हैं।
- जिन भारतीय कंपनियों ने ए.डी.आर./जी.डी.आर. जारी किये हैं वह 100 मिलियन अमरीकी डालर की धनराशि तक या एक वर्ष में अपनी निर्यातों की दस गुनी धनराशि के बराबर, जो भी अधिक हो, विदेशी कंपनियों के शेयर प्राप्त कर सकती हैं।
- ए.डी.आर./जी.डी.आर. को दोहरी प्रतिमोचनता प्रदान की जाएगी। परिवर्तित स्थानीय शेयरों को ए.डी.आर./जी.डी.आर. में पुनः परिवर्तित किया जा सकता है और जहां कहीं लागू हो इस पर क्षेत्रीय अधिकतम सीमा लगाई जा सकती है।
- अब भारतीय कंपनियों को ब्लाक शेयरधारिता के एवज में ए.डी.आर./जी.डी.आर. प्रायोजित करके विदेशी शेयर बाजारों में सूचीकरण की अनुमति दी जाएगी। यह सुविधा प्रत्येक श्रेणी के शेयरधारकों को प्रदान करनी होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक अलग से इन मार्गनिर्देशों को जारी करेगा।

व्यावसायिक सेवायें प्रदान कर रही पंजीकृत भागीदारी वाली फर्मों और कंपनियों द्वारा निवेशों को अभी तक विदेशी निवेशों की

[श्री यशवन्त सिन्हा]

अनुमति नहीं दी गई थी। अब यह प्रतिबन्ध हटाया जा रहा है। इसी तरह से भारतीय कर्मचारी जिन्हें विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों में ई.एस.ओ.पी. स्कीमों का लाभ मिलता है अब 5 वर्षों के ब्लाक के बजाय 20,000 अमरीकी डालर का वार्षिक विदेशी निवेश कर सकते हैं।... (व्यवधान)

विदेशी निवेश

विदेशी निवेश से संबंधित उपबन्धों में उत्तरोत्तर उदारीकरण किया गया है। मैं निम्नलिखित और उपायों का प्रस्ताव करता हूँ:-

- विदेशी संस्थागत निवेशक कंपनी की प्रदत्त पूंजी के 24% तक पोर्टफोलियो निवेश मार्ग के अधीन किसी कंपनी में निवेश कर सकता है। इस सीमा को एक विशेष संकल्प के द्वारा शेयर-धारकों की जनरल बाडी के अनुमोदन से 40% तक बढ़ाया जा सकता है। मैं इस सीमा को 49% तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति 100% तक प्रत्येक मामले के आधार पर दी जाती है परन्तु शर्त यह है कि उनकी धारिता का न्यूनतम 25% घरेलू बाजार में लगाया जाए। इस शर्त को हटाया जा रहा है बशर्ते विदेशी निवेशक न्यूनतम 50 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश करें। अब एन.बी.एफ.सी. में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को भी भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों की शर्त पर स्वतः मार्ग पर रखा गया है।

संरचनात्मक सुधार

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को तेज करने के लिए हमें सुधार के कुछ कठिन क्षेत्रों को चुनना होगा जिनके लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

चार ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां मूल्य एवं मात्रा नियंत्रण व्यवस्था विद्यमान है। ये क्षेत्र हैं—पेट्रोलियम, उर्वरक, चीनी और औषधियां।

नियंत्रित मूल्य प्रणाली (ए.पी.एम.)

पेट्रोलियम

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, सरकार ने नवम्बर, 1997 में मार्च, 2002 तक पेट्रोलियम क्षेत्र में नियंत्रित मूल्य प्रणाली हटाने के विस्तृत विवरण अधिसूचित किये थे। मैं इस निर्धारित

समय के अनुपालन का प्रस्ताव करता हूँ। मार्च, 2002 तक ए.पी.एम. को विनियमन रहित करने के लिए एक समयबद्ध कार्रवाई कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। मेरे सहयोगी पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री इस संबंध में अलग से कार्य योजना निर्दिष्ट करेंगे।

उर्वरक

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि मैंने कुछ समय पहले विद्यमान प्रतिधारण मूल्य स्कीम (आर.पी.एस.) को मध्यावधि में धीरे-धीरे समाप्त करने के उद्देश्य से उर्वरक मूल्य निर्धारण को युक्तिसंगत बनाने की बात कही थी। सरकार ने अब 1 अप्रैल, 2006 तक यूरिया को पूर्णतः नियंत्रण मुक्त रखने के चरणबद्ध कार्यक्रम के लिए व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। 1 अप्रैल, 2001 से प्रारंभ करके पहले चरण में निम्नलिखित कदम उठाये जायेंगे:-

- यूनिट विशिष्ट प्रतिधारण मूल्य स्कीम के स्थान पर समूह रियायत स्कीम चलाई जाएगी। वर्तमान अधिकतम बिक्री मूल्य (एम.आर.पी.) जारी रखा जाएगा और प्रत्येक समूह के लिए रियायत निर्दिष्ट की जाएगी ताकि यूनिट, निर्धारित अधिकतम बिक्री मूल्य पर यूरिया बेच सकें।
- नेप्था/एफ.ए.ओ./एल.एस.एच.एस. के आधार पर यूरिया यूनिटों के लिए रियायत दर को इन आपूर्ति स्टाकों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों से सम्बद्ध किया जाएगा।
- यदि किसी को यूरिया के मूल्यों में वृद्धि की सम्भावना दिखाई दे रही थी, तो मैं कहूंगा कि इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है।

चीनी

सरकार चीनी को पूर्णतः नियंत्रण मुक्त करने के लिए बचनबद्ध है, परन्तु यह अन-उत्क्रमणीय होना चाहिए। सरकार ने आगामी वर्ष के अंदर चीनी में भावी सौदों/वायदा व्यापार को शुरू करने का निर्णय लिया है जो पूर्ण विनियंत्रण से पहले एक आवश्यक उपाय है। विशेष श्रेणी के राज्यों, पहाड़ी राज्यों, द्वीपसमूह क्षेत्रों और अन्य राज्यों एवं संघ राज्यों में गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चीनी की आपूर्ति राशन कार्ड धारकों को की जाएगी। ऐसी आपूर्ति चीनी के पूर्ण विनियंत्रण के बाद भी जारी रखी जा सकती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चीनी का खुदरा बिक्री का मूल्य 1 मार्च, 2001 से 13.25 रुपए प्रति किलोग्राम किया जा रहा है।

औषधि मूल्य नियंत्रण

हमारी अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और उत्पाद पेपेंट प्रणाली के आगमन से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने और चुनौतियों का सामना करने के लिए घरेलू औषधि एवं फार्मास्यूटिकल उद्योग को सहायता की जरूरत है। सरकार वर्तमान मूल्य नियंत्रण प्रणाली, जहां वह अनुत्पादनकारी बन गई है, की कठिनाइयों को कम करने के उपायों पर विचार करती आ रही है। इस उद्देश्य के लिए हमने निर्णय लिया है कि मूल्य नियंत्रण समयावधि को पर्याप्त रूप से कम कर दिया जाएगा। फिर भी समाज के कमजोर वर्गों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ऐसे मामलों में व्यापक रूप से दखल देने का अधिकार बनाये रखेगी जहां मूल्य व्यवहार असामान्य हो। तदनुसार फार्मास्यूटिकल नीति में परिवर्तन किये जा रहे हैं।

औद्योगिकी पुनर्संरचना

सरकार ने कम्पनियों के पुनरुद्धार, पुनर्निर्माण और/अथवा बंद करने के सम्बन्ध में एक उच्च-स्तरीय विधि समिति का गठन किया है, समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और सरकार ने उसकी महत्वपूर्ण सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। एस.आई.सी.ए. को रद्द करने तथा राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की स्थापना हेतु कंपनी अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। इन विधायी प्रस्तावों को मेरे सहयोगी विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री द्वारा चालू सत्र के दौरान लाने का प्रस्ताव है।

श्रम बाजार

इन परिवर्तनों के साथ हमारे श्रम विधानों में सख्त विवादास्पद मामलों का समाधान करना भी आवश्यक है। औद्योगिकी विवाद अधिनियम के कुछ मौजूदा उपबंधों ने औद्योगिक फर्मों के लिए किसी श्रम लोचशीलता का उपयोग करना लगभग असम्भव बना दिया है। सरकार अब इस विधान में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने के लिए आश्वस्त है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अध्याय Vख में निर्दिष्ट है कि विनिर्दिष्ट औद्योगिक संस्थापनों के नियोक्ता अस्थाई छंटनी, छंटनी तथा संस्थान को बंद करने से पहले निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद उपयुक्त सरकारी प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करें। यह प्रस्ताव है कि ये उपबंध अब 100 कामगारों के बजाय 1000 तक के कामगारों को नियोजित करने वाले औद्योगिक-संस्थापनों पर लागू होंगे। पृथक्करण क्षतिपूर्ति को सेवा पूर्ण करने की प्रत्येक एक वर्ष की अवधि के लिए 15 दिन से बढ़ाकर 45 दिन कर दिया जाएगा। क्षतिपूर्ति की वृद्धि नियोक्ता को अस्थाई छंटनी, छंटनी का सहारा लेने और बार-बार संस्थापन को बंद करने की प्रवृत्ति से रोकेंगी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: बसुदेव आचार्य जी, आप कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रियरंजन दासमुंशी जी, यह सब क्या है? लगातार टिप्पणी करने से पूरी सभा में बाधा उत्पन्न हो रही है। सुनील खां जी, सभा में आप उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिन्हा: इसी प्रकार संविदा श्रमिक सम्बन्धी मौजूदा कानून कई सेवा गतिविधियों में रोजगार की वृद्धि को बाधित करता है। मौजूदा अधिनियम की धारा में कार्य/प्रक्रिया/प्रचालन में संविदा श्रम का निषेध परिकल्पित है, यदि उसमें निर्धारित कार्य की चिरस्थायी प्रकृति आदि जैसी शर्तें पूरी न की जाए। धारा 10 निषिद्ध कार्यों में नियोजित संविदा श्रमिकों को मूल नियोक्ता का प्रत्यक्ष कर्मचारी बनाने में समर्थ है। इस कठिनाई को दूर करने और साथ ही श्रमिकों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए यह प्रस्ताव है कि गतिविधियों के स्रोतों का बिना किसी प्रतिबन्ध के विस्तार करने तथा संविदा नियुक्तियों की पेशकश किए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए एक संशोधन लाया जाए। इससे मुख्य और गौण गतिविधियों के बीच अन्तर नहीं होगा और विस्तारित स्रोत वाली गतिविधियों में लगे श्रमिकों को उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा आदि की दृष्टि से संरक्षण प्रदान किया जा सकेगा। इससे सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए छंटनी मुआवजे के रूप में अंतिम आहरित वेतन पर आधारित अधिक मात्रा में मुआवजा भी मिल सकेगा।

इन उपायों से श्रम प्रधान और निर्यातोन्मुखी गतिविधियों में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा जिससे नए सिरे से औद्योगिक विकास हो सकेगा और इसके साथ ही श्रमिकों के हितों की सुरक्षा की जा सकेगी। मेरे सहयोगी श्रम मंत्री औद्योगिक विवाद अधिनियम और संविदा श्रमिक अधिनियम में संशोधन करने के लिए संसद के इसी सत्र में एक उपयुक्त विधान लाएंगे।

आश्रय बीमा योजना

मैं, अर्थव्यवस्था में चल रहे उदारीकरण के परिणामस्वरूप संगठित श्रम शक्ति पर पड़ने वाले अल्पकालिक प्रभाव के बारे में सचेत हूँ। अतः मैं इस प्रकार प्रभावित श्रमिकों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए "आश्रय बीमा योजना" नामक सामूहिक बीमा की एक नई स्कीम शुरू करने के प्रस्ताव करता हूँ। यह पालिसी अपनी रोजी खोए हुए कामगारों के सम्बन्ध में एक वर्ष की समयावधि के लिए अन्तिम आहरित वार्षिक वेतन के 30 प्रतिशत भाग की क्षतिपूर्ति व्यवस्था करेगी। प्रारम्भ में प्रतिमाह 10 हजार रुपए का वेतन आहरण करने वाले सभी कर्मचारियों को इस पालिसी के अन्तर्गत शामिल करने का प्रस्ताव है। सरकार के

[श्री यशवन्त सिन्हा]

स्वामित्व की चार साधारण बीमा कम्पनियां इस पालिसी को "हानि-लाभ रहित" आधार पर चलाएंगी और जून, 2001 के अन्त तक प्रस्तावित पालिसी की प्रीमियम दरों सहित पूर्ण ब्यौरे की घोषणा करेंगी।

लघु उद्योग क्षेत्र

लघु उद्योग क्षेत्र के सम्बन्ध में सरकार की बचनबद्धता को बार-बार रेखांकित किया जाता रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा 30 अगस्त, 2000 को इस क्षेत्र के लिए एक व्यापक पालिसी पैकेज की घोषणा की गयी थी।

इस क्षेत्र में उत्पादन तथा रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए, सितम्बर 2000 से छूट की सीमा को दोगुना करके 1 करोड़ कर दिया गया है।

अगस्त, 2000 की नई ऋण गारंटी योजना में चालू वर्ष में 100 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता उपलब्ध कराई गयी है। संपार्श्विक के बिना ऋण की सीमा जो पहले 10 लाख रुपए पर निर्धारित की गयी थी, उसे इस योजना के अधीन बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। 7 बैंकों का ऋण गारंटी निधि न्यास के साथ, जिसे योजना के कार्यान्वयन हेतु गठित किया गया है, पहले ही करार हो चुका है। प्रौद्योगिक उन्नयन हेतु ऋण सम्बन्ध पूंजी सब्सिडी योजना को 12 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी के साथ अक्टूबर, 2000 में प्रारम्भ किया गया है। आशा है कि इस योजना के तहत आगामी 5 वर्षों में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 5000 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध होंगे।

हमारे लघु उद्यमियों ने राष्ट्रीय निर्यात में 35 प्रतिशत से अधिक का योगदान करके अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता साबित कर दी है। कुछ अति महत्वपूर्ण निर्यातानुमुखी क्षेत्रों में और नए निवेश और प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए अब चर्म वस्तुओं, जूतों और खिलौनों से सम्बन्धित 14 अन्य मदों को अनारक्षित करने का प्रस्ताव है।

वस्त्रोद्योग

सरकार ने हाल ही में एक नई वस्त्र नीति की घोषणा की है जिसका उद्देश्य उद्योग को गहन और मुक्त विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा की नई चुनौतियों को तैयार करना है। मुझे एक टेक्सटाइल पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी है जिसमें निम्नलिखित स्कीमों शामिल हैं:-

- एकीकृत परिधान पार्क (इंटीग्रेटेड एफेरल पार्क) की स्थापना करने की एक स्कीम शुरू की जा रही है।

इससे अनारक्षित रेडीमेड गारमेंट उद्योग सर्वोत्तम आधारभूत ढांचायुक्त आधुनिक इकाइयां स्थापित कर सकेगा। वर्ष 2001-2002 के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है।

- इस प्रयोजन हेतु एक सुदृढ़ और आधुनिक बुनकरी क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है। कम से कम 50,000 नये शटल रहित करघों और 2.5 लाख सादे करघों को स्वचालित करघों में बदल कर आधुनिकीकरण का कार्य 2004 तक होने की आशा है, जिसके लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (टी.यू.एफ.एस.) से निधियां मुहैया कराई जाएंगी। टी.यू.एफ.एस. के अधीन बजट प्रावधान को इस वर्ष 50 करोड़ रुपए के आवंटन से बढ़ाकर अगले वित्तीय वर्ष में 200 करोड़ रुपए किया जा रहा है।
- कपास प्रौद्योगिकी मिशन को जारी रखा जा रहा है और सुदृढ़ किया जा रहा है। इस प्रयोजन हेतु बजट प्रावधान पिछले वर्ष 15 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए किया जा रहा है।
- कपड़ा मंत्रालय के लिए बजट आवंटन में पर्याप्त वृद्धि करके इसे 2000-2001 में 457 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2001-2002 में 650 करोड़ रुपए किया जा रहा है।
- जब मैं वस्त्र की बात पर आऊंगा तो प्रस्तावित राजकोषीय परिवर्तनों का ब्यौरा मैं अपने भाषण के भाग "ख" में दूंगा।

मानव-विकास

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

सामाजिक क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता को महसूस करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आवंटन को 4920 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5780 करोड़ रुपए किया जा रहा है। इसमें एच.आई.वी./एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 180 करोड़ रुपए का आवंटन शामिल है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति

जड़ी-बूटियों में अब समूचे विश्व की रुचि बढ़ रही है क्योंकि लोग इलाज की ऐसी सरल पद्धतियों की ओर रुख कर रहे हैं जिनके प्रतिकूल प्रभाव (साईड इफेक्ट्स) न हों। हम पेटेन्टों की मंजूरी को रोकने के लिए जन-मानस में पहले से मौजूद जानकारी को अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने के लिए एक पारम्परिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कर रहे हैं। हम राज्य औषधि

परीक्षण प्रयोगशालाओं और फार्मसियों को सुदृढ़ करने के लिए एक नई स्कीम भी शुरू कर रहे हैं। हमारा भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी को भी फार्मास्यूटिकल उद्योग की तरह लाभ पहुंचाने का प्रस्ताव है।

शिक्षा

बुनियादी शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम—सर्वशिक्षा अभियान की शुरुआत की गई है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय मिशन का गठन किया गया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य एक मिशन रूप में 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को आठ वर्ष की अच्छी बुनियादी शिक्षा प्रदान करना है, जिसमें मुख्य जोर सामुदायिक स्वामित्व वंचित तबकों और बालिकाओं की अच्छी शिक्षा के वैकल्पिक तरीके पर होगा। बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में सभी विद्यमान स्कीमों के नौवीं योजना के बाद इस योजना में मिला दिया जाएगा और अगले वर्ष मार्च तक देश के सभी जिलों को इसके अन्तर्गत लाया जाएगा।

हम प्रौद्योगिकी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने और उसे सुदृढ़ करने के प्रति कटिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री द्वारा इस प्रयोजन हेतु मानव संसाधन विकास मंत्री के अधीन स्थापित एक कार्य दल ने शिक्षा के इस क्षेत्र का उन्नयन और विस्तार करने के लिए व्यापक सिफारिशें की हैं। रूड़की इंजीनियरिंग कालेज का आई.आई.टी. के रूप में उन्नयन किया जाएगा और आई.आई.टी. गुवाहाटी को और अधिक मात्रा में निधियां प्रदान की जा रही हैं जिससे कि इसे शीघ्र पूरा किया जा सके। आई.आई.टी. के आधार का विस्तार किया जाएगा, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कोलजों को सुदृढ़ किया जा रहा है और सरकारी और गैर-सरकारी भागीदारी से नए संस्थानों की स्थापना की जाएगी। निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा दिया जाएगा, विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक नई स्कीम शुरू की जा रही है और विद्यालय से महाविद्यालय स्तर तक सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अन्य पहलें की जा रही हैं।

पिछले वर्ष मैंने ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में प्राइवेट सेक्टर द्वारा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की संस्थाओं को की गई अदायगियों पर शत-प्रतिशत आयकर छूट प्रदान करने की घोषणा की थी। मैं यही छूट इंजीनियरिंग संस्थाओं को भी प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

छात्रों के लिए शैक्षणिक ऋण

अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं गरीबी का अनुभव किया है और उच्चतर शिक्षा अर्जन में मैंने दिक्कतों का सामना किया है। अतः मेरा मानना है कि देश के किसी भी सुयोग्य छात्र को धन की

कमी की वजह से उच्चतर और तकनीकी शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.) ने एक व्यापक शैक्षणिक ऋण स्कीम तैयार की है जिसके दायरे में भारत तथा विदेशों में सभी पाठ्यक्रम लाए जाएंगे। इस स्कीम के तहत भारत में अध्ययन के लिए 7.5 लाख रुपए और विदेशों में अध्ययन के लिए 15 लाख रुपए के ऋण उपलब्ध होंगे; 4 लाख रुपए तक के ऋण के लिए किसी जमानती या मार्जिन की शर्त नहीं रखी जाएगी और इसका ब्याज सर्वोच्च उधार दर (पी.एल.आर.) से अधिक नहीं होगा। 4 लाख रुपए से अधिक के ऋण के लिए ब्याज दर पी.एल.आर. जमा 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस ऋण की वापसी-अदायगी 5 से 7 वर्ष की अवधि में की जाएगी और इसमें छूट की अवधि का प्रावधान होगा। मुझे आशा है कि इस स्कीम से जरूरतमंद बच्चे भारत में और उससे बाहर उच्च व तकनीकी अध्ययन कर सकेंगे।

महिलाएं

वर्ष 2001 महिला अधिकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मेरे सहयोगी योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में महिलाओं के लिए कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

इस बीच मेरा प्रस्ताव है कि:-

- गरीब परिसंपत्तिविहीन महिलाओं को गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से लघु ऋण उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महिला कोष को सुदृढ़ किया जाए।
- महिलाओं के स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से 650 विकास खंडों में महिलाओं की अधिकारिता की एक एकीकृत स्कीम शुरू की जाये।
- दुरुह परिस्थितियों में रह रही महिलाओं जैसे वृन्दावन, काशी और अन्य स्थानों की विधवाओं, अकिंचन महिलाओं और अन्य वंचित महिला समूहों के लिए एक नई स्कीम शुरू की जाए।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

अनुसूचित जनजातीय आबादी के और अधिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप एक पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना 500 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ की गई है। जनजाति कार्य मंत्रालय में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की स्कीमों हेतु आबंटन इस वर्ष 786 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अगले वर्ष 986 करोड़ रुपए किया गया है।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

इसी तरह अनुसूचित जातियों की आबादी के कल्याण और उत्थान की स्कीमों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के आबंटन को इस वर्ष 709 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अगले वर्ष में 790 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

सामाजिक सुरक्षा

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि पिछले बजट में मैंने समाज के सबसे गरीब तबकों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने हेतु "जनश्री बीमा योजना" नामक एक नई सामूहिक बीमा योजना की घोषणा की थी। इस स्कीम का माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 10 अगस्त, 2000 को उद्घाटन किया गया और इसका व्यापक स्वागत हुआ है। अब तक 332 स्कीमों को मंजूरी दी गई है और 99,750 गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग इससे लाभान्वित हुए हैं।

मेरा विश्वास है कि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की मुसीबतों को कम से कम करने के लिए सामाजिक सुरक्षा के दायरे को विस्तृत किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार मेरा अगले वित्तीय वर्ष के दौरान दो और स्कीमों शुरू करने का प्रस्ताव है:

- (1) भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए एक विशेष स्कीम खेतिहर मजदूर बीमा योजना, जिसके तहत लाभार्थी को जनश्री बीमा योजना के अधीन उपलब्ध की तरह बीमा कवर के लाभ और उसके 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर 100 रु. प्रतिमाह की पेंशन प्रदान की जाएगी। उन लाभार्थियों के मामले में जो युवावस्था में ही इस स्कीम में शामिल होंगे; प्रति दस वर्ष की समाप्ति पर कुछ आवधिक भुगतान भी परिकल्पित है। लाभार्थी को प्रीमियम के रूप में एक अल्प अंशदान करना होगा।
- (2) एक शिक्षा सहयोग योजना, जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे माता-पिता के बच्चों को 100 रुपए प्रतिमाह का शिक्षा भत्ता प्रदान किया जाएगा ताकि वे नौवीं से बारहवीं कक्षा के अपने अध्ययन के दौरान शिक्षा के खर्चों को वहन कर सकें जिससे कि कोई जरूरतमन्द छात्र धन के अभाव में अपनी शिक्षा जारी रखने के अवसर से वंचित न रह जाए। यह जनश्री बीमा योजना के अभिदाताओं के लिए उपलब्ध रहेगी।

इन दोनों स्कीमों का प्रबन्धन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाएगा।

इस बीच, मेरे पास कम मजदूरी पाने वाले कामगारों के लिए खुशखबरी है, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधीन कवरेज के लिए मजदूरी की अधिकतम सीमा 5000 रुपए से बढ़ाकर 6,500 रुपए कर दी गई है। कर्मचारियों के हित को बढ़ावा देने के लिए मैं पेंशन निधि में कर्मचारियों की मासिक मजदूरी के 1.16 प्रतिशत के सरकारी अंशदान की अधिकतम सीमा को 5000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस मद पर सरकार को प्रतिवर्ष अनुमानतः 77 करोड़ रुपए का यह अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ेगा।

इस समय क्षेत्र में जहां विभिन्न पेंशन, भविष्य निधि और ग्रेजुटी स्कीमों के फायदे मिलते हैं, वही असंगठित क्षेत्र को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्राप्त नहीं है। मैंने बीमा नियामक विकास प्राधिकरण से इन सभी मुद्दों की जांच करने और 1 अक्टूबर, 2001 तक इस क्षेत्र के लिए पेंशन सुधारों का एक कार्यक्रम तैयार करने के लिए कहा है।

पत्रकार कल्याण निधि

पत्रकारों को आतंकवाद और अन्य हिंसा की घटनाओं की खबरें पहुंचाने के लिए अधिकाधिक जोखिम उठाने पड़ते हैं। उनकी सेवाओं और बलिदानों की मान्यतास्वरूप और उनसे बेहतर बर्ताव की आशा में, मेरा सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत 1 करोड़ रुपए के अंशदान से एक पत्रकार कल्याण निधि गठित करने का प्रस्ताव है। मेरी सहयोगी सूचना व प्रसारण मंत्री इस स्कीम के व्यौर की घोषणा करेंगी।... (व्यवधान)

मनोरंजन

हमारा मनोरंजन उद्योग विशेष रूप से फिल्म उद्योग हमारे लाखों लोगों को जो अन्यथा कठोर तथा निर्दय विश्व में रह रहे हैं, अत्यावश्यक मनोरंजन की न केवल व्यवस्था करता है, बल्कि यह हमारी अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में भी उभरा है और इसकी भविष्य में उज्ज्वल सम्भावनाएं हैं। दो वर्ष पहले, मैंने इस उद्योग को वही कर छूट प्रदान की थी जो पण्य-निर्यातों के लिये उपलब्ध थी। कुछ माह पहले सरकार ने आई.डी.बी.आई. अधिनियम के तहत एक अधिसूचना जारी की थी जिसके द्वारा फिल्मों सहित मनोरंजन उद्योग को एक औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में घोषित कर दिया गया है। बैंक ऐसी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिये मार्ग-निर्देश अंतिम रूप से तैयार कर रहे हैं जो बैंक-ग्राह्य हैं। मुझे आशा है कि फिल्म उद्योग अपने प्रचालनों में और अधिक पारदर्शिता एवं व्यावसायिकता लाने के लिए इन उपायों का पूरा लाभ उठाएगा और ऐसा कोई कार्य चुपके-चुपके और निश्चित तौर पर चोरी-चोरी नहीं करेगा।

राजकोषीय सुदृढ़ता

जैसा कि मैंने पहले कहा है अर्थव्यवस्था जिस अत्यधिक गम्भीर समस्या का सामना कर रही है, वह केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों की बिगड़ती राजकोषीय स्थिति है। इन दोनों का संयुक्त राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 10 प्रतिशत के आसपास है। मुझे अक्सर राजकोषीय रूढ़िवादी के रूप में समझा जाता है। कुछ लोग मुझे राजकोषीय चरमपंथी कहने की सीमा तक पहुंच गए हैं। मैं आशा करता हूँ कि एस. जयपाल रेड्डी जी मेरी बात सुन रहे हैं। मैं राजकोषीय घाटे के प्रति क्यों इतना चिन्तित हूँ, मुझे स्पष्ट करने की अनुमति दें। बजट अनुमान के अनुसार चालू वर्ष में केन्द्र सरकार की कुल प्राप्तियां लगभग 281,000 करोड़ रुपए हैं। इस राशि में से, केन्द्रीय करों और अनुदानों में राज्यों का हिस्सा 72,000 करोड़ रुपए है। इसलिए केन्द्र सरकार के पास 209,000 करोड़ रुपए शेष रहते हैं। व्यय के मामले में 101,000 करोड़ रुपए ब्याज पर, 59,000 करोड़ रुपए रक्षा पर, 23,000 करोड़ रुपए बड़ी सब्सिडियों पर और 16,000 करोड़ रुपए पेंशनों पर खर्च किए जाने हैं। अन्य सभी सरकारी व्यय की निवल राशि कुल 123,000 करोड़ रुपए बैठती है, जबकि केवल 12,000 करोड़ रुपए शेष बचे हैं। इसलिए काम चलाने के लिए चालू वर्ष में मुझे 111,000 करोड़ रुपए उधार लेने पड़ेंगे। सर्वाधिक चिन्ताजनक पहलू यह है कि मेरे उधारों की राशि का 70 प्रतिशत से अधिक भाग अर्थात् 77,000 करोड़ रुपए अनुत्पादक राजस्व व्यय के वित्तपोषण के लिए था। यह अगले वर्ष ब्याज के रूप में मेरा भार बढ़ाएगा तथा अधिक से अधिक उधार लेने तथा देश को ऋण जाल में फंसने को अंततः मुझे मजबूर करेगा। मैं हमारे फिजूलखर्ची द्वारा भावी पीढ़ी पर डाले जा रहे बोझ के प्रति अत्यधिक चिन्तित हूँ। मैं इस स्थिति को जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता।

अपने पिछले बजट भाषणों में दिए गए आश्वासनों के अनुरूप, मैंने गत वर्ष व्यय सुधार आयोग की नियुक्ति की थी और इस सदन में पिछले सत्र में राजकोषीय दायित्व विधेयक प्रस्तुत किया था। इस विधेयक में राजकोषीय घाटे को घटाकर 2 प्रतिशत पर लाने और आगामी पांच वर्षों में राजस्व घाटे को पूर्णतया समाप्त करने का प्रयास किया गया है।

विशेष रूप से आयोजना-भिन्न व्यय में हो रही वृद्धि पर रोक लगाने हेतु कई उपाय पहले ही प्रारम्भ कर दिए गए हैं। मैंने इस वर्ष आयोजना-भिन्न व्यय में किसी भी प्रकार की वृद्धि की अनुमति नहीं दी है, परिणामस्वरूप, कई वर्षों में पहली बार बजट में निर्धारित राजकोषीय घाटा लक्ष्य को वास्तव में प्राप्त कर लिया गया है और यह चालू वर्ष के संशोधित अनुमान में 5.1 प्रतिशत पर है। 3.6% का राजस्व घाटा लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया गया है।

व्यय प्रबंधन

मेरी मंशा केन्द्रीय सरकार के व्यय के संघटन में संरचनात्मक परिवर्तन लाने और आयोजना व्यय की गुणवत्ता में सुधार करते समय आयोजना-भिन्न राजस्व में और अधिक उत्साह से मितव्ययिता बरतते हुए आगे बढ़ने की है। इस प्रयोजनार्थ मैं निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करता हूँ:-

- सरकार और इसकी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सेवाओं के उपभोक्ता प्रभागों को इन सेवाओं की वर्धित लागत को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाएगा। इस वृद्धि का एक हिस्सा इन सेवाओं के अनुरक्षण तथा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
- इसी प्रकार, डाक दरों को, बढ़ते हुए डाक घाटे को नियंत्रित करने के लिए मामूली रूप से संशोधित किया जाएगा।
- भर्ती की सभी अपेक्षाओं की समीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु की जाएगी कि नई भर्ती कुल सिविलियन स्टाफ की संख्या के 1 प्रतिशत तक सीमित रहे। चूंकि स्टाफ का लगभग 3 प्रतिशत भाग प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होता है, इसलिए इससे प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत की जनशक्ति में कमी आएगी और इस प्रकार प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पांच वर्षों में 10 प्रतिशत स्टाफ की कटौती करने का लक्ष्य प्राप्त होगा।
- कार्मिक विभाग के अन्तर्गत अधिशेष पूल को आधिक्य स्टाफ की पुनः तैनाती और पुनः प्रशिक्षण देने हेतु प्रभावी और सुसज्जित बनाया जाएगा। सरप्लस पूल के कर्मचारियों को आकर्षक स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना का पैकेज भी दिया जाएगा।
- सरकारी आवास पर मानक लाइसेंस शुल्क (किराया) को 1 अप्रैल, 2001 से समूह "क" के कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत, समूह "ख" के लिए 25 प्रतिशत और स्टाफ के अन्य संवर्गों हेतु 15 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा।
- केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत को चार वर्ष के ब्लाक अवधि के शेष भाग हेतु 2 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाएगा लेकिन इसमें वे कर्मचारी शामिल नहीं होंगे जो सेवानिवृत्ति से पहले अन्तिम अवकाश यात्रा रियायत पाने के हकदार हैं।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

सरकारी गतिविधियों में भारी संख्या में लोगों की सहभागिता के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को कार्यकुशलता को बढ़ावा देने हेतु विस्तारित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, सामान्य भविष्य निधि, पेंशन, वेतन और लेखा, पासपोर्ट, आयकर, सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों को 31 मार्च, 2002 तक पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत कर दिया जाएगा। सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा बीमा कम्पनियों से भी कहा जा रहा है कि वे इस अवधि के भीतर अपने कार्यकलापों में पूर्णतः कम्प्यूटर का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दें।

पिछले वर्ष गठित व्यय सुधार आयोग ने 6 मंत्रालयों और विभागों का आकार छोटा करने के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इनमें आर्थिक कार्य विभाग, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग, सरकारी उद्यम विभाग, लघु उद्योग मंत्रालय और आपूर्ति विभाग शामिल हैं। आयोग की अन्य विभागों से संबद्ध रिपोर्टें भी आगामी छह माह के भीतर प्राप्त हो जाएंगी। इन सिफारिशों को 31 जुलाई, 2001 तक कार्यान्वित किया जाएगा और पहचान किए गए अधिशेष स्टाफ को सरप्लस पूल में स्थानान्तरित किया जाएगा।

एक कहावत है कि "पहले अपने, पीछे पराए"। मेरा विश्वास है कि मितव्ययिता भी अपने घर से प्रारम्भ होनी चाहिए। इस उदाहरण का अनुसरण करते हुए, व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर मैं आर्थिक कार्य विभाग के तीन सचिव/विशेष सचिव स्तर के पदों और दो संयुक्त सचिव स्तर के पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसे चरणबद्ध तरीके से 31 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, व्यय सुधार आयोग द्वारा संस्तुत 31 पदों की तुलना में निदेशक और उससे नीचे के अन्य 44 पदों को समाप्त कर दिया जाएगा। मुद्रा और सिक्का ढलाई प्रभाग में 1675 पदों को समाप्त किया जा रहा है। इस प्रभाग की पुनर्संरचना की जाएगी तथा उसे निगम का स्वरूप दिया जाएगा। राष्ट्रीय बचत संगठन की स्टाफ संख्या को 1191 से घटाकर लगभग 25 करके छोटा किया जाएगा। मैंने व्यय सुधार आयोग से कहा है कि वह वित्त मंत्रालय में राजस्व तथा व्यय विभाग के सम्बन्ध में भी अपनी सिफारिशें प्रदान करे। मैं आश्वस्त हूँ कि इससे सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में संस्थापनों के आकार को छोटा करने की प्रक्रिया तेज होगी।... (व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): राज्यों में जो मंत्रियों की फौज है, उसे कम करिये।

[अनुवाद]

श्री यशवन्त सिन्हा: योजना आयोग ने दसवीं योजना को तैयार करने कार्य प्रारम्भ कर दिया है। संसाधनों की गम्भीर अड़चनों को देखते हुए सरकार के व्यय की गुणवत्ता में सुधार अति महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, सभी ऐसी योजनाएं जो स्वरूप में एक समान हैं, उन्हें दोहराव को समाप्त करने के लिए एकरूप कर दिया जाएगा। केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं जो राज्यों को अन्तरित हो सकती हैं, की पहचान की जाएगी। संसाधनों में निवेश को निष्पादन से जोड़ा जाएगा। योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने हेतु निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आवश्यक प्रक्रियात्मक परिवर्तन भी किए जाएंगे। विकेंद्रित नियोजन को सर्वाधिक महत्व दिया जाएगा।

पेंशन सुधार

केन्द्र सरकार की पेंशन देनदारियां सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में अनियंत्रणीय अनुपातों तक पहुंच गयी हैं। ये 1993-94 में 0.5 प्रतिशत से बढ़कर 2000-2001 में 1 प्रतिशत हो गयी, जैसी कि व्यवस्था है कि जो कर्मचारी केन्द्र सरकार की सेवाओं में 1 अक्टूबर, 2001 के बाद प्रवेश करते हैं, वे परिभाषित अंशदानों के आधार पर नवीन पेंशन कार्यक्रम के तहत पेंशन प्राप्त करेंगे। मौजूदा पेंशन व्यवस्था की समीक्षा करने हेतु तथा सरकार द्वारा उठाए जाने वाले आगामी कदमों की रूपरेखा उपलब्ध कराने हेतु मैं एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समूह के गठन का प्रस्ताव करता हूँ, जो अपनी सिफारिशें अगले 3 महीने के भीतर देगा।

ब्याज दर

मैंने व्यय बजट में ऋण शोधन बोझ के बढ़ते हुए हिस्से की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है, जो बढ़ते हुए सरकारी कर्ज और मौजूदा उच्च वास्तविक ब्याज दरों द्वारा तीव्र होने की वजह से है। परंतु उनका नीचे आना संविदात्मक बचत क्षेत्र अर्थात् भविष्य निधि और लघु बचत योजनाओं को नियंत्रित करने वाली प्रशासित ब्याज दरों में अन्तर्निहित सख्ती द्वारा बाधित है। मैंने बहुत सावधानीपूर्वक इस मुद्दे की जांच की है। मैंने पाया है कि इन सभी योजनाओं में प्रदान की गई ब्याज दरें वर्ष 1980 और 1998 के बीच कभी भी 3 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति से अधिक नहीं हुई हैं। तब से, यह अंतर बढ़कर 6 से 8 प्रतिशत हो गया है। न केवल केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों पर अवहनीय बोझ डालने वाली ऐसी उच्च वास्तविक ब्याज दरें ही बल्कि पूंजी की परिणामी उच्च लागत भी पूर्ण रूप से आर्थिक विकास में अवरोध उत्पन्न कर रही है। अतएव मैं इन प्रशासित दरों को 1 मार्च, 2001 से कम करके 1.5 प्रतिशत कर रहा हूँ। इन योजनाओं के लिए सरकारी गारंटी और कर-प्रोत्साहन जारी रहेंगे। भविष्य के लिए मैं इन दरों के निर्धारण के लिए एक बेहतर प्रणाली का पता

लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं इस मुद्दे पर सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

लघु बचत जमा राशियों पर ब्याज दरों में कमी के लाभ पूर्ण रूप से राज्यों को प्राप्त होंगे। यह लघु बचतों से उनकी उधार लेने की लागत 100 से 150 आधार बिंदु तक कम कर देंगे। इसके अतिरिक्त, मैं राज्य आयोजनाओं को केंद्रीय सहायता के ऋण भाग पर ब्याज को भी 50 आधार बिंदु कम कर रहा हूँ। राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र में भविष्य निधि की घटी हुई ब्याज दरों के साथ सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज दरों को समान करना राज्य सरकारों का ब्याज भार और कम कर देगा इसके अतिरिक्त केन्द्र के सकल कर संग्रहण में पूर्वानुमानित वृद्धि के कारण राज्यों को केंद्रीय करों की सुपुर्दगी की राशि चालू वर्ष की तुलना में वर्ष 2001-2002 में लगभग 9000 करोड़ रुपए बढ़ जाने का अनुमान है। ये सभी उपाय राज्यों के ऋण भार को कम करने में सहायता करेंगे और उनकी राजकोषीय स्थिति में सुधार लाएंगे।

राज्य के राजकोषीय सुधार

केन्द्र में राजकोषीय समेकन से हमारा प्रयास राज्यों के साथ ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में उनकी वित्तीय दशा में सुधार करने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करना होगा। राज्यों को अनुवीक्षणीय राजकोषीय सुधार कार्यान्वित करने के लिए अगले 5 वर्षों हेतु 10,607 करोड़ रुपए की एक प्रोत्साहन निधि निर्धारित की गई है। ये सुधार अनिवार्यतः राज्यों के अपने कार्यक्रम होंगे और प्रत्येक राज्य को अपना कार्यक्रम तैयार करने के लिए पर्याप्त छूट दी गई है। राजकोषीय वर्ष 2001-2002 में मैंने इस प्रोत्साहन निधि को 4243 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है।

सरकारी क्षेत्र का पुनर्गठन और निजीकरण

हमारे सरकारी क्षेत्र ने आर्थिक कार्यकलाप के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में अपना विस्तार किया है। कई प्रकार से, इसने राष्ट्र की अच्छी सेवा की है; दक्षता का चहुंमुखी विकास हुआ है और एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार निर्मित हुआ है। इन उद्यमों को नए वातावरण में प्रतिस्पर्धा करने और प्रगति करने के लिए अब सुदृढ़ किया जाना चाहिए। पिछले वर्ष मैंने स्पष्ट रूप से इस संबंध में सरकार की नीति परिभाषित की थी।

“सेल” और “एच.एम.टी.” सहित सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रमों की वित्तीय और व्यापार पुनर्गठन योजना वर्ष के दौरान अनुमोदित की गई थी। वर्ष 1998 से व्यवहार्य और संभावित रूप से व्यवहार्य सरकारी क्षेत्र के 23 उपक्रमों को 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय पुनर्गठन सहायता प्रदान की गई है। सरकार ने चालू वर्ष के दौरान 8 अव्यवहार्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को

बंद करने का भी निर्णय किया है। नेशनल टेक्साटाइल कारपोरेशन की विभिन्न मिलों का पुनरुद्धार और बंद करने के लिए भी उपायों का पैकेज अनुमोदित किया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की कार्यविधि भी अब काफी सरल और कारगर बना दी गई है। निजीकरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए विनिवेश विभाग का गठन किया गया है। सरकार की आय को अधिकतम करने के लिए हमारा दृष्टिकोण शेयरों की अल्प मात्रा के विनिवेश से महत्वपूर्ण निवेशकों के शेयरों के ब्लाक की महत्वपूर्ण बिक्री करने की ओर अंतरित हो गया है। सरकार 27 कंपनियों का निजीकरण अनुमोदित कर चुकी है, जिनमें विनिवेश की प्रक्रिया इस वर्ष के दौरान पूरा हो जाने का अनुमान है। इन कंपनियों में अन्वियों के अलावा विदेश संचार निगम लिमिटेड, एयर इंडिया और मारुति उद्योग लिमिटेड शामिल हैं।
...(व्यवधान)

इन कई कंपनियों में विनिवेश की प्रक्रिया के उन्नत चरण को देखते हुए, मैं अगले वर्ष के दौरान विनिवेश से 12000 करोड़ रुपए की प्राप्ति का श्रेय लेने के लिए प्रोत्साहित हुआ हूँ। इसमें से 7000 करोड़ रुपए की राशि का प्रयोग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्गठन सहायता, कामगारों को सुरक्षा प्रदान करने और ऋण-भार को कम करने में किया जाएगा। प्राथमिक तौर पर सामाजिक और आधारभूत संरचना क्षेत्रों में योजना के लिए अतिरिक्त बजट सहायता प्रदान करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रयोग किया जाएगा। योजना के लिए यह अतिरिक्त आवंटन पूर्वानुमानित प्राप्तियों की वसूली पर आधारित होगा। योजना आयोग के परामर्श से मैं वर्ष के दौरान क्षेत्रीय आवंटन प्रस्ताव लाऊंगा।
...(व्यवधान)

गुजरात का भूकम्प

गुजरात में भूकम्प जन-जीवन को क्षति और संपत्ति की हानि के रूप में एक भयावह और अभूतपूर्व दुःखत घटना रही है। यद्यपि, मैं विश्वास करता हूँ कि गुजरात के लोगों की अन्तर्निहित सहिष्णुता और उद्यमशीलता की भावना आर्थिक कार्यकलापों को शीघ्र ही बहाल कर देगी फिर भी मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारे पास अपने आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के मार्ग से विचलित हुए बिना ऐसी प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियों का पूरी तरह सामना करने की क्षमता है।

इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को सक्षम बनाने हेतु भारत सरकार निम्नलिखित सहायता प्रदान कर रही है:

- राज्य सरकार को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से तत्काल 500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए थे।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

- ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप 500 करोड़ रुपए की प्रारंभिक संचित निधि से गठित राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि को वैयक्तिक आयकर और निगम कर पर 2 प्रतिशत अधिभार लगाकर बढ़ाया जा रहा है।
- सड़कों, पुलों, विद्युत संस्थापनाओं, स्कूल की इमारतों, जन सुविधाओं और अन्य सार्वजनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए विभिन्न केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के अधीन राज्य सरकार को सहायता प्रदान की जाएगी।
- 800 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया गया। संयुक्त दल गुजरात का भ्रमण कर चुका है और पर्याप्त अतिरिक्त निधियों पर बातचीत करना अनुमानित है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्र में उधारकर्ताओं के लिए वसूलियों को रोक देने और उदार शर्तों पर नए ऋणों के विस्तार के लिए बैंकों से विशेष व्यवस्था करने का अनुदेश दिया है।
- राष्ट्रीय आवास बैंक और "हुडको" ने आवास निर्माण के लिए पर्याप्त निधियां अलग रखी हैं। मैं दोनों संस्थाओं के बीच 2000 करोड़ रुपए तक के कर मुक्त बाण्डों का विशेष कोटा आवंटित करने का भी प्रस्ताव करता हूँ।
- उड़ीसा में आए महाचक्रवात के बाद की गयी कार्रवाई की भांति, इंदिरा आवास योजना में "हुडको" और राज्य सरकारों द्वारा अभिज्ञात एजेंसियों द्वारा निर्माण के लिए प्रयुक्त सीमेंट और इस्पात को उत्पाद-शुल्क से पूर्णतः छूट दी जाएगी।
- गुजरात सरकार को कर-मुक्त भूकम्प राहत बांड जारी करके निधियां जुटाने योग्य बनाया जाएगा जो भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से अनिवासी भारतीयों सहित व्यक्तियों और अन्यो को रुपए में अभिदान के लिए खुला होगा।
- राहत के लिए अभिप्रेत सभी सामग्रियों को उत्पाद और सीमा शुल्कों से छूट दी गई है; प्रत्यक्ष कर निर्धारितियों को अपनी विवरणियां दाखिल करने के लिए समय में बढ़ोत्तरी की जायेगी।

इस भयानक प्राकृतिक आपदा ने राष्ट्रीय आपदाओं से निपटने के लिए स्थायी संस्थागत व्यवस्था करने की आवश्यकता भी प्रदर्शित की है। प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंध समिति इस प्रयोजन के लिए प्रभावी दीर्घावधिक कार्यनीति बनाने के लिए सिफारिश करेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): यह भूतलक्षी प्रभाव से किया जाना चाहिए।... (व्यवधान)

बजट अनुमान

वर्ष 2000-2001 के लिए संशोधित अनुमान

श्री यशवन्त सिन्हा: हम विनिवेश कार्यक्रम के धीमेपन, प्राकृतिक आपदाओं और पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोक्ताओं को राहत देने के कारण सरकारी वित्त पर दबाव पड़ने के बावजूद राजकोषीय घाटे के बजट लक्ष्य को बनाये रखने में सफल हुए हैं। चालू राजकोषीय वर्ष के लिए संशोधित अनुमान में बजट अनुमानों की तुलना में व्यय में 2965 करोड़ रुपए की मामूली कमी है।

केन्द्र का निवल कर-राज्य 1,46,209 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों की तुलना में 1,44,403 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 1806 करोड़ रुपए की कमी प्रदर्शित करता है। यह कमी मुख्यतः सीमा शुल्क और संघ उत्पाद शुल्क के कम संग्रहण के कारण है, जिसमें पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक के उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए उसमें कमी की गई थी। कर-भिन्न राजस्व का अनुमान 57,464 करोड़ रुपए के अनुमानित स्तर से 4299 करोड़ रुपए अधिक होकर 61,763 करोड़ रुपए अनुमानित है। परन्तु, विनिवेश प्राप्तियां 10,000 करोड़ रुपए के बजट लक्ष्य की तुलना में कम होकर 2500 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लक्ष्य के अनुरूप अर्थात् 5.1% होने की आशा है।

वर्ष 2001-2002 के लिए बजट अनुमान

वर्ष 2001-2002 के बजट अनुमानों में कुल व्यय 3,75,223 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिसमें से आयोजना व्यय 100,100 करोड़ रुपए और आयोजना-भिन्न व्यय 2,75,123 करोड़ रुपए है।

आयोजना व्यय

केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए बजट सहायता 100,100 करोड़ रुपए रखी गई है, जो 2000-2001 के संशोधित अनुमानों से 13,862 करोड़ रुपए अधिक है। यह 16 प्रतिशत की वृद्धि है। केन्द्रीय योजना के लिए सकल बजटीय

सहायता 2000-2001 के संशोधित अनुमानों में 48,269 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2001-2002 में 59,456 करोड़ रुपए की जा रही है। वर्ष 2001-2002 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय आयोजना सहायता भी 2001-2002 के संशोधित अनुमान में 37,969 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,644 करोड़ रुपए किया जाना प्रस्तावित है।

आयोजना-भिन्न व्यय

वर्ष 2001-2002 के संशोधित अनुमानों में 2,49,284 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2001-2002 में आयोजना-भिन्न व्यय 2,75,123 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। आयोजना-भिन्न व्यय में वृद्धि मुख्यतः ब्याज संदाय (11,633 करोड़ रुपए), रक्षा (7,539 करोड़ रुपए) और राज्य सरकारों को अनुदान (2,221 करोड़ रुपए) के कारण है।

अधिक विश्वसनीयता और पारदर्शिता लाने के लिए मैं बजट पत्रों के साथ इस वर्ष "1999-2000 और 2000-2001 में की गई बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन" पर एक नई रिपोर्ट भी संलग्न कर रहा हूँ।

महोदय, मैं अब अपने कर प्रस्तावों को प्रस्तुत करता हूँ लेकिन उससे पहले मैं एक गिलास पानी पीना चाहता हूँ क्योंकि उसे सुनने के बाद हर कोई पानी मांगेगा।

अपने पहले के बजटों में मैंने अपने राजस्व प्रस्तावों को तैयार करने में प्रयत्नों की निरन्तरता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इस दिशा में जो सिद्धांत मेरे पथ प्रदर्शक रहे हैं, वे हैं—राजस्व में वृद्धि की आवश्यकता, कर व्यवस्था का सरलीकरण और यौक्तिकीकरण और ईमानदार करदाता के लिए मैत्रीपूर्ण एवं करवंचक के लिए निवारक उपायों के जरिए कारगर कर-अनुपालन। मैंने सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क दोनों में अनेक दरों में कटौती की है, प्रक्रियाओं को आसान बनाया है और कर अनुपालन में सुधार लाने के उपाय शुरू किए हैं। मैंने खास मामलों में उत्पाद और सीमा-शुल्क छूटें प्रदान करने की अपनी विवेकाधीन शक्तियों का त्याग किया है और इस प्रकार सरकार के लिए राजस्व के कई करोड़ रुपए बचाए हैं। कर वंचकों के विरुद्ध दंडों की नीति भी भेदभाव रहित बनाई गई है। मेरे इन सभी उपायों का उद्देश्य एक ऐसे तंत्र को समाप्त करना रहा है जिसे समूह या लॉर्बियां प्रभावित कर सकती हैं। इस वर्ष मेरा प्रयास है कि इसे इसकी न्यायोचित परिणति पर पहुंचाया जाए।

मैंने अपने पिछले बजट में केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर (सेनवेट) की दर के रूप में 16% की दर लागू की थी। मैंने विशेष उत्पाद शुल्क की दरों में भी युक्तिसंगतता लाकर इन्हें तीन अर्थात् 8%,

16% और 24% कर दिया था। सेनवेट की एकल दर का अब यथामूल्य शुल्कों से कुल उत्पाद-शुल्क राजस्व में लगभग 68% का अंशदान है।

मेरा अब विशेष उत्पाद शुल्क की तीन दरों को कम करके 16% की एक दर लागू करने का प्रस्ताव है। इसके परिणामस्वरूप, मैं निम्नलिखित मदों पर 8% विशेष उत्पाद-शुल्क को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ:

- (1) ग्लेज्ड टाइलें
- (2) गद्दे (मैट्रेस) और शैय्या का सामान
- (3) कार्पेट और फ्लोर कवरिंग
- (4) पेन्टेड कैन्वास, स्टूडियो बैंक क्लाथ आदि
- (5) लिनोलियम और टेक्साटाइल वॉल कवरिंग
- (6) स्कूटर और मोटरसाइकिल, और
- (7) टैक्सियां।

इन मदों पर अब केवल 16% की दर पर सेनवेट प्रभाय होगा।

सफेद सीमेंट और अन्य विशेष सीमेंट, याट और नौका विहार वाली नावों, निजी इस्तेमाल के लिए हथियार एवं गोला बारूद और लोमचर्म (फर स्किन) की बनी वस्तुओं पर 16% का विशेष उत्पाद-शुल्क और कुल 32% शुल्क लगेगा।

वातित सॉफ्ट ड्रिंक, वेंडिंग मशीनों को आपूर्ति किए गए सॉफ्ट ड्रिंकों के सान्द्र और मोटरकारों पर विशेष उत्पाद-शुल्क को कम करके 16% किया जाएगा, इस प्रकार 24% विशेष उत्पाद-शुल्क की दर को समाप्त किया जाएगा। इन मदों पर भी अब 32% का कुल शुल्क लगेगा। जिन उत्पादों पर पहले से 32% की यह दर लागू है उनके संबंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

कुछेक ऐसी मदें हैं जिन पर इस समय आधी दर अर्थात् 8% पर सेनवेट लगता है। इन सभी मदों पर अब से 16% के सामान्य दर प्रभाय होगा सिवाय सिलाई के धागे सहित सूती धागा, एल.पी.जी., कैरोसीन और 10 अश्वशक्ति तक के डीजल इंजिन जिन्हें मैं व्यापक जनहित में फिलहाल 8% पर छोड़ रहा हूँ।

इन यौक्तिकीकरण उपायों के बाद यथामूल्य शुल्कों के संबंध में राजस्व का लगभग 80%, 16% की एकल दर से और लगभग 17% अर्थात् कुल 97 प्रतिशत, 16% और 32% की सम्मिलित दर से आएगा।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

भारत फलों और सब्जियों का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। परन्तु समुचित भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं के अभाव में इनका अधिकांश भाग बर्बाद चला जाता है। शीघ्र खराब होने वाले फलों और सब्जियों के कारोबार में लगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को विशेष मदद की आवश्यकता है। अतः मैं फलों और सब्जियों से तैयार वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। इसमें आम इस्तेमाल के बहुत सारे उत्पाद जैसे अचार, साँस, केचप और जूस आदि शामिल होंगे। बेहतर भंडारण सुविधाओं के निर्माण के लिए मेरे द्वारा दी गई सहायता के साथ-साथ इन सुविधा से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में यह सहायक साबित होगा।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): असली है आलू, उसका क्या करोगे?

श्री यशवन्त सिन्हा: मुलायम सिंह जी, आलू का चोखा बनाएंगे।

श्री मुलायम सिंह: चोखा तो बनाएंगे, लेकिन वह कितने में बनेगा।...*(व्यवधान)* आप आलू बेस इंडस्ट्री का कुछ कीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री यशवन्त सिन्हा: ग्यारहवें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि में धन जुटाने के लिए एक विशेष उगाही शुल्क की सिफारिश की है। एक तदर्थ उपाय के तौर पर चालू वर्ष में कॉरपोरेट करों पर एक प्रतिशत विशेष अधिभार के जरिए इसकी व्यवस्था की गई थी। मैं कई ऐसे उत्पादों, जिनके इस्तेमाल को स्वास्थ्य संबंधी कारणों से हतोत्साहित किया जाना चाहिए, पर उत्पाद-शुल्क के एक विशेष अधिभार के जरिए नियमित रूप से इसके निधिपोषण की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं सिगरेट पर 15% अधिभार लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। बीड़ी पर शुल्क बढ़कर 6 रुपए से 7 रुपए प्रति हजार बीड़ी हो जाएगा। पान मसाला पर कुल शुल्क 55%/60% हो जाएगा। विविध तम्बाकू उत्पाद जैसे कि खाने के तम्बाकू पर 60% का कुल शुल्क प्रभावी होगा।

हाई स्पीड डीजल पर उत्पाद शुल्क को गत वर्ष सितम्बर में 16% से घटाकर 12% किया गया था। मैं इस पर पुनः 16% की सामान्य सेनवेट दर लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। मेरा मोटर स्पिड पर भी 16% की पूर्व दर बहाल करने का प्रस्ताव है। शुल्क में वृद्धि का भार सिवाय कतिपय तकनीकी सुधारों के, उपभोक्ताओं पर डाले जाने का प्रस्ताव नहीं है।

एल.पी.जी. पर 8% का उत्पाद-शुल्क वसूला जाता है। मैं यही दर कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस पर भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ जो इस समय पूर्णतः उत्पाद-शुल्क मुक्त है।

वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में अलग-अलग प्रसंस्करणकर्ताओं से यौगिक आधार पर उत्पाद-शुल्क वसूल करने की एक विशेष स्कीम दिसम्बर, 1998 में शुरू की गई थी। इस स्कीम के कार्यचालन में गंभीर खामियां आ गई हैं। अतः मैंने 1 मार्च, 2001 से पुनः अलग-अलग वस्त्र निर्माण प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए यथामूल्य शुल्क ढांचे को अपनाने का निर्णय किया है। अलग-अलग प्रसंस्करणकर्ताओं को कल्पित आधार पर निविष्टियों पर चुकाए गए शुल्क का सेनवेट क्रेडिट लेने की अनुमति दी जाएगी।

एक पंजीकृत ट्रेड नाम के अधीन बेचे गए वस्त्रों पर उत्पाद-शुल्क छूट जारी रखने का कोई आर्थिक तर्काधार नहीं है। मैं ऐसे वस्त्रों पर 16% का शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।

लघु उद्योग इकाइयों के उत्पादों पर एक करोड़ रुपए तक उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त है। इस छूट का आशय वास्तविक रूप से लघु उत्पादकों को वित्तीय मदद पहुंचाना था। मैं निम्नलिखित मदों के संबंध में इस छूट को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ जिनमें छूट का दुरुपयोग होने की संभावना अधिक है:

- सूती धागा
- बाल या रोलर बीयरिंग, और
- निजी इस्तेमाल के लिए शस्त्र व गोला बारूद।

दियासलाई पर उत्पाद शुल्क ढांचे में प्रत्येक 50 तीलियों के प्रति सौ डिब्बियों पर 25 पैसे से लेकर 2.40 रुपए तक की शुल्क की दरें शामिल हैं। मेरा विद्यमान दरों में युक्तिसंगतता लाकर एक अधिक युक्तिसंगत ढांचा लाने का प्रस्ताव है जिसमें हस्तनिर्मित क्षेत्र के लिए 50 पैसे, मध्यम क्षेत्र के लिए 1 रुपया और अर्द्धयांत्रिकीकृत क्षेत्र के लिए 2 रुपए और यांत्रिकीकृत क्षेत्र के लिए 3 रुपए की शुल्क दरें होंगी।

अध्यक्ष महोदय, उत्पाद-शुल्कों की दरों के मामले में सेनवेट की केवल एक बुनियादी दर और विशेष उत्पाद-शुल्क की एक दर लाकर मैंने इस दिशा में अपनी आखिरी लक्ष्य को लगभग हासिल कर लिया है। उत्पाद-शुल्क की कार्यविधियों को भी आधुनिक बनाया गया है। मैं विनम्रतापूर्वक यह दावा कर सकता हूँ कि उत्पाद-शुल्क अब विनिर्माण अवस्था तक मूल्यवर्धित कर का एक आदर्श नमूना है।

अब जिस अकेले मुद्दे को सुलझाया जाना बाकी है, वह व्यक्तिगत छूटों का मुद्दा है। छूटों की व्यवस्था अब अमल में लाए जा रहे एक सरल, साम्यपरक और युक्तिसंगत कर ढांचे के अनुकूल नहीं है। मैं छूटों को एकदम समाप्त नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि यह उनके लिए अप्रत्याशित आघात होगा जो छूटों के अभ्यस्त हो चुके हैं। परन्तु मैं उनको यह नोटिस भी देना चाहूँगा कि वे औरों की तरह शुल्कों का भुगतान करने के लिए तैयार रहें। फिलहाल मैं चशमों, नकली आभूषण, रबरीकृत गद्दे आदि जैसे कुछ मदों पर 4% का मामूली शुल्क लगाकर एक साधारण शुरूआत कर रहा हूँ जिसे चार समान वार्षिक किस्तों में 16% कर दिया जाएगा। इस वृद्धिशील सूची में प्रतिवर्ष अधिकाधिक मदों को लाया जाएगा।

अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं और सेवा क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों के मुकाबले अधिक तेजी से बढ़ रहा है। मैं सेवा कर के दायरे का विस्तार कर रहा हूँ और मेरा निम्नलिखित सेवाओं को कर योग्य सेवाओं की सूची में लाने का प्रस्ताव है:-

- विशिष्ट बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं
- दुपहिया वाहनों सहित वाहनों की सर्विसिंग के लिए अधिकृत सर्विस स्टेशन
- पत्तन सेवाएं
- प्रसारण सेवाएं
- फोटोग्राफिक सेवाएं
- सम्मेलन आयोजन सेवाएं (कन्वेंशन सर्विसेज)
- साउंड रिकार्डिंग सेवाएं
- वैज्ञानिक और तकनीकी परामर्शदायी सेवाएं
- टेलेक्स सेवाएं
- टेलीग्राफ सेवाएं
- प्रतिकृति सेवाएं
- ऑन-लाइन सूचना और डाटाबेस रिट्रीवल सेवाएं
- वीडियो टेप निर्माण सेवाएं
- बीमा अनुबंधी सेवाएं।

मैं लीज सर्किट लाइनधारकों को प्रदत्त सेवाओं को भी कर दायरे में लाने का प्रस्ताव करता हूँ।

अब मैं सीमा शुल्कों से संबंधित अपने प्रस्तावों पर आता हूँ।

अपने पिछले बजटों में मैंने प्रमुख सीमा शुल्क दरों की कुल संख्या कम करके चार कर दी है अर्थात् 35%, 25%, 15% और 5%। मेरी इस वर्ष सीमा शुल्क दरों की संख्या में और कमी करने की इच्छा नहीं है। तथापि, मैं 10% के अधिभार को आगे जारी न रखने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे सीमा शुल्क की अधिकतम दर मामूली रूप से गिरकर 38.5% से 35% हो जाएगी।

सभी कृषि उत्पादों पर पहले ही 35% या उससे अधिक की शुल्क की अधिक अधिकतम दर लागू है। प्रमुख अनाजों पर वर्तमान शुल्क दरें इस प्रकार हैं: गेहूँ (50%), चावल (70%/80%) और मक्का (50%)। मैं अब चाय, कॉफी, गरी और नारियल और सुखाए हुए नारियल पर सीमा शुल्क को वर्तमान 35% से बढ़ाकर 70% करने का प्रस्ताव करता हूँ।

इसी प्रकार मैं कच्चे खाद्य तेलों पर शुल्क की दर जो इस समय 35% से लेकर 55% तक है, को बढ़ाकर 75% की एकरूप दर पर और रिफाईंड तेलों को 45%/65% से 85% पर लाने का प्रस्ताव करता हूँ। विश्व व्यापार संगठन करार की बाध्यता के कारण सोयाबीन तेल पर 45% की न्यूनतम दर लागू होगी। मैं वनस्पति विनिर्माताओं द्वारा कच्चे पॉम ऑयल के आयात पर सीमा शुल्क की दर को 25% से बढ़ाकर 55% करने का और इस रियायत को केवल रुग्ण वनस्पति इकाइयों तक सीमित करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। अन्य इकाइयां 75% अदा करेंगी। मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे किसान भाइयों के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से जब कभी आयातों की वजह से कोई स्पष्ट खतरा नजर आएगा, हम तत्काल कदम उठाएंगे।... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: वित्त मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि खतरा नहीं है, लेकिन किसान बर्बाद हो गये हैं।... (व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: किसान मर रहा है, उसकी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है।

[अनुवाद]

श्री यशवंत सिन्हा: सदन को यह स्मरण होगा कि सरकार स्वयं आई.टी.ए.-1 अनुसूची के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी तथा टेलीकॉम उत्पादों तथा उनकी निविष्टियों और संघटकों पर सीमा शुल्क को 2003 तक समाप्त करने को बचनबद्ध है। इन उत्पादों पर सीमा शुल्क को 1 मार्च, 2001 से उनके वर्तमान स्तरों से घटाकर 15% पर लाने का प्रस्ताव है।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष अप्रैल में शेष मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के बाद पुरानी कारों भी मुक्त रूप से आयात योग्य हो जाएंगी। पुरानी कारों के आयात में आने वाली तेजी की आशंका को दूर करने के लिए उनके आयात पर मूल सीमा शुल्क की दर को 105% तक बढ़ाया जाएगा जो शीर्ष दर की तीन गुना है। पुरानी कारों पर अब कुल शुल्क 180% से अधिक लगेगा। मैं पुराने बहु-उपयोगी वाहनों, स्कूटरों और मोटर साइकिलों के आयात पर भी इसी प्रकार का शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।

घरेलू शराब उत्पादकों के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए मैं घरेलू उत्पादन पर राज्य उत्पाद शुल्क की लेवी को ध्यान में रखते हुए आयातित शराब पर उपयुक्त दर पर सीवीडी लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।

हमारे वस्त्र उद्योग को स्वयं आधुनिक बनना होगा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने तथा उत्पादन की उच्च गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी प्राप्त करनी होगी। मैं शटल रहित करघों सहित विनिर्दिष्ट कपड़ा मशीनों पर मूल सीमा शुल्क को 15% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव करता हूँ। वस्त्र उद्योग क्षेत्र को और राहत प्रदान करने के उपाय के रूप में मैं रेशम अपशिष्ट, कपास अपशिष्ट, फ्लैक्स फाइबर पर सीमा शुल्क को 35%/25% से घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करता हूँ।

जहां एक ओर कच्ची सामग्रियों तथा मध्यवर्ती वस्तुओं के बीच सीमाशुल्क में विसंगति के कुछ मामले प्रकाश में आए हैं वहीं दूसरी ओर मध्यवर्ती वस्तुओं तथा अन्तिम उत्पाद के संबंध में भी यही स्थिति है। मानव निर्मित रेशों तथा धागों के उत्पादन हेतु डी.एम.टी., पी.टी.ए., एम.ई.जी. और कैप्रोलैक्टम कच्ची सामग्रियां हैं। तथापि, इन सामग्रियों पर सीमाशुल्क रेशों तथा धागों पर लागू दर की अपेक्षा अधिक है। मैं डी.एम.टी., पी.टी.ए., एम.ई.जी. और कैप्रोलैक्टम मद पर सीमाशुल्क को 25% से घटाकर 20% करने का प्रस्ताव करता हूँ और जो सिंथेटिक धागों और रेशों के लिए विश्व व्यापार संगठन की आबद्ध दर है। इसी प्रकार, सोडा कांच के सामान, डिटर्जेंट आदि के उत्पादन के लिए एक निविष्टि है और अन्तिम उत्पाद के साथ इस पर वर्तमान में अधिकतम 35% सीमाशुल्क लगाया जाता है। मैं इसे घटाकर 20% करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं रेशों और धागों के विनिर्माताओं के लिए पोलिएस्टर चिप्स और नाइलोन चिप्स पर सीमाशुल्क को 35% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव करता हूँ।

इसी प्रकार, उच्च कोटि के डी.बी.एम. सीवाटर मेग्नेशिया और प्यूज्ड मेग्नेशिया पर सीमाशुल्क 25% से घटाकर 15% किया जा रहा है।

रत्न और आभूषणों के निर्यात के क्षेत्र में भारी सम्भावनाएं हैं। मैं काटे और तराशे गए रंगीन रत्नों पर सीमाशुल्क को 35% से घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं इन विनिर्दिष्ट उपस्करों पर सीमाशुल्क को 25% से घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करता हूँ जबकि इनका आयात रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा किया जाता है। तराशे न गए हीरों पर सीमाशुल्क की दर अब 5% होगी।

सी.एन.जी. किट और उनके पुर्जों में 5% का निम्न शुल्क लगता। मैं एल.पी.जी. परिवर्तित किटों तथा उनके पुर्जों के संबंध में भी इसी व्यवस्था का प्रस्ताव करता हूँ।

एल.एन.जी. का उत्पादन भारत में नहीं होता। एल.एन.जी. के आयात पर पड़ने वाली सीवीडी का भार एल.एन.जी. परियोजनाओं की लागत को बढ़ा देता है। इसलिए मैं एल.एन.जी. को सी.वी.डी. से रियायत देने का प्रस्ताव करता हूँ।

इसी कारण से, मैं सी.वी.डी. के प्रयोग से चमड़ा उद्योग में प्रयुक्त वैटल एक्सट्रैक्ट को रियायत देने का प्रस्ताव करता हूँ।

मैं सीमेंट तथा क्लिंकर पर सीमाशुल्क को 35% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव करता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह कमी उपभोक्ताओं के लाभ के लिए सीमेंट की घरेलू कीमतों को आसान बनाने में मददगार होगी।

अध्यक्ष महोदय, अधिकृत प्रेसमैन और कैमरामैनों को अपने व्यावसायिक उपयोग हेतु सीमाशुल्क का भुगतान किए बिना पांच वर्ष में एक बार एक लाख रुपए तक के मूल्य का कैमरा, कम्प्यूटर, फैक्स मशीन आदि का आयात करने की अनुमति है। उनके द्वारा प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मेरी बहुत सारी अच्छी फोटो लेने को ध्यान में रखते हुए मैं इस पांच वर्ष की दीर्घकालिक प्रतीक्षा अवधि को घटाकर दो वर्ष करने का प्रस्ताव करता हूँ।

चलचित्र कला की बेहतर गुणवत्ता को प्रोत्साहन देने के लिए मैं फिल्म उद्योग द्वारा उपयोग में लाए जा रहे सिने कैमरा, प्रोजेक्टर और अन्य संबद्ध उपस्करों पर सीमाशुल्क को 25% से घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करता हूँ।

मैं तस्करी को हतोत्साहित करने के लिए प्रति 10 ग्राम स्वर्ण पर 400 रुपए के शुल्क को घटाकर प्रति 10 ग्राम स्वर्ण पर इसे 250 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

कई उद्योग संघों ने सूचित किया कि आयातित उपभोक्ता उत्पादों पर सी.वी.डी. को भी अधिकतम खुदरा मूल्य के आधार पर लगाया जाए अन्यथा इसमें समानता नहीं आएगी। मैं उनकी युक्तिसंगत दलील को स्वीकार करता हूँ। वित्त विधेयक में इस निर्णय को कार्यान्वित करने के समर्थकारी उपबंध निहित हैं।

मैं कुछ मदों पर सीमाशुल्क से रियायत हटाने और उन पर 5% का नाममात्र का शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। सूची वित्त विधेयक के साथ संलग्न है।

मैंने पहले ही आश्वासन दिया है कि हमारा सीमाशुल्क पूर्वी एशियाई स्तरों पर लाया जाएगा। मैं तेजी से आगे बढ़ते हुए अधिकतम 20% की दर के साथ दरों की संख्या का न्यूनतम स्तर तीन वर्षों के भीतर तक घटाना चाहूँगा। इसके लिए यथा-समय आगामी बजट में तौर-तरीके तैयार किए जाएंगे।

महोदय, बेहतर प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक दक्षता के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं।

केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क संबंधी प्रक्रियाओं और अनुदेशों के एक नये मैनुअल का प्रकाशन 1 सितम्बर, 2001 में किया जाएगा। इसमें सरलता, संक्षिप्तता तथा पारदर्शिता पर जोर दिया जाएगा। मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों को उपभोक्ता के अनुकूल बनाने हेतु सरल बनाने का प्रस्ताव करता हूँ।

उत्पाद शुल्क संबंधी मेरे प्रस्ताव से वर्ष में 4677 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। सीमाशुल्क संबंधी मेरे प्रस्तावों से 2128 करोड़ रुपए की राजस्व हानि का अनुमान है। मेरा अनुमान है कि अगले वर्ष अप्रत्यक्ष कर राजस्व 1,40,992 करोड़ रुपए होगा।

उत्पाद और सीमाशुल्कों में किए जाने वाले परिवर्तनों को प्रभावी बनाने हेतु जारी अधिसूचनाओं की प्रतियां यथा समय सदन के पटल पर रख दी जाएंगी।

अब मैं प्रत्यक्ष कर पर आता हूँ। प्रत्यक्ष करों में पिछले तीन वर्षों के दौरान मेरा बल कर दरों को स्थायित्व प्रदान करने, कर आधार को व्यापक बनाने, कर कानूनों को युक्तिसंगत बनाने और उसका सरलीकरण करने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने का रहा है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष कर राजस्व वर्ष 1998-99 में 46,428 करोड़ रुपए से बढ़कर इस वर्ष अनुमानित 74,467 करोड़ रुपए हो गया है। इसके अतिरिक्त, निर्धारितियों की संख्या मार्च, 1998 में एक करोड़ से काफी बढ़कर इस वर्ष के प्रारंभ में 2.3 करोड़ हो गई है। अतएव, मैं इस वर्ष भी वह दर जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, सहकारी समितियां अब से 35% की बजाए 30% कर अदा करेंगी।

अपने वर्ष 1999-2000 के बजट में निगमों और गैर-निगमों पर 10% अधिभार लगाते समय मैंने यह वचन दिया था कि यह एक अस्थायी लेवी होगी। तथापि, ऋणगल की वजह से अप्रत्याशित व्यय भार के कारण उच्च आय स्तरों वाले गैर-निगम करदाताओं पर अधिभार की राशि में 15% की वृद्धि करने के लिए बाध्य हुआ था। इस वित्तीय वर्ष के दौरान मैंने राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि हेतु गुजरात भूकंप राहत के लिए निगमों पर 1% का अधिभार और सभी करदाताओं पर 2% अधिभार बढ़ाया था। मैं अब गुजरात के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों की राहत के लिए 2% के अधिभार को छोड़कर निगमों और गैर-निगमों द्वारा देय सभी अधिभार हटाने का प्रस्ताव करता हूँ। 60,000 रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों पर यह अधिभार नहीं लगेगा।

महोदय, कल्याणकारी उपाय के रूप में, मैं मानसिक विकृति, मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक रूप से कमजोर और बहु अपंगता से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट में दान देने के लिए शत-प्रतिशत छूट की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ।

माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि संभावित आयकर निर्धारितियों की पहचान करने और उन्हें कर-जाल में लाने के लिए छः में से एक की संशोधित योजना जिसे मैंने वित्त अधिनियम, 1998 में शुरू किया था, से काफी लाभ प्राप्त हुआ है। अतएव मैं 1991 की जनगणना द्वारा यथापरिभाषित देश के सभी शहरी क्षेत्रों में छः में से एक की योजना का विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूँ। वर्ष 2001 की जनगणना से उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों को बाद में शामिल किया जाएगा।

कतिपय कंपनियां अपनी आय की विवरणियां संभवतः इस दलील पर दाखिल नहीं कर रही हैं कि उनकी कोई कर-योग्य आय नहीं है। इस प्रकार ये कंपनियां राजकोषीय अनुशासन के बाहर निकल जाती हैं और प्रारम्भिक वर्षों के दौरान उनके वित्तीय लेन-देनों की संवीक्षा नहीं हुई। अतएव, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि सभी कंपनियों को चाहे वे घाटा उठा रही हों, अपनी विवरणियां दाखिल करनी चाहिए।

महोदय, कर आधार को व्यापक बनाने का दूसरा प्रभावी उपाय स्रोत पर कर की कटौती का दायरा और बढ़ाना है। अब से शेयरों और प्रतिभूतियों से संबंधित लेन-देनों को छोड़कर कमीशन अथवा दलाली द्वारा 2500 करोड़ रुपए से अधिक की आय पर स्रोत पर आयकर की कटौती 10% की दर पर होगी।

लाटरियों, वर्ग पहेलियों आदि से जीती गई राशियों पर अभी 40% की दर से कर लगता है। चूंकि सीमांतिक वैयक्तिक आयकर की दरें अब 30% पर स्थिर हो गई हैं इसलिए इस आय पर भी अब 30% की दर से कर लगेगा। आजकल टेलीविजन गेम शो

[श्री यशवन्त सिन्हा]

बहुत लोकप्रिय हैं। मैं विजेताओं को शुभकामनाएँ देता हूँ। इसके साथ ही, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि इनसे और उनके गेम शो से जीती गई राशियों पर स्रोत पर 30% की दर से आयकर की कटौती की जाएगी।

इस समय बैंक अथवा आवास वित्त कंपनी के पास जमाराशियों के संबंध में आय 10,000 रुपए और अन्य मामलों में 5000/- रुपए से अधिक हो जाने पर सावधि जमाराशियों पर ब्याज से प्राप्त राशि पर स्रोत पर कर की कटौती की जाती है। इन नई सीमाओं से कर आधार में कमी और जमाराशियों के विखण्डन के कारण कर-योग्य आय को कम सूचित करना प्रदर्शित हुआ है। अतएव, मैं सभी मामलों में इस सीमा को घटाकर 2500/- रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

आर्थिक उदारीकरण से वेतनभोगी वर्ग विशेष रूप से उच्च वेतन प्राप्त वर्ग के वेतन पैकेज में कई परिवर्तन हो रहे हैं। इसे कई घटकों में विभाजित किया जा रहा है और नियोक्ताओं द्वारा प्रदान की जा रही परिलब्धियों, लाभों और सुविधाओं के स्वरूप को नए आयाम प्राप्त हो रहे हैं। वेतन पैकेज के वर्तमान ढांचे के साथ अपनी कर प्रणाली को समरूप बनाने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मकानों और कारों, जहां सरलता के लिए विभिन्न मानदंड अपनाए जाएंगे, के मामलों को छोड़कर परिलब्धियों, लाभों अथवा सुविधाओं का मूल्य, नियोक्ता को आने वाली उनकी लागत के आधार पर निश्चित किया जाएगा।

महोदय, मैं प्रतिवर्ष एक लाख रुपए तक की आय वाली निम्न आय सीमा में वेतनभोगी व्यक्तियों को राहत प्रदान करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। ऐसे व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 88 के अधीन अपने पात्र निवेशों के संबंध में इस समय प्रदान की जा रही 20% की छूट की तुलना में 30% की दर पर वर्धित कर छूट प्राप्त करेंगे।

निर्यातोन्मुखी इकाइयों और निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों, मुक्त व्यापार क्षेत्रों और साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क में स्थित इकाइयों के मामले में घरेलू बाजार में उनकी बिक्री के 25% को कर से छूट दी जाती है। मैं ऐसी इकाइयों की घरेलू बिक्री से होने वाले लाभों के कराधान की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूँ।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र अच्छा कार्य कर रहा है और उसे बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अतएव, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क में स्थित इकाइयों द्वारा "कार्यस्थल पर" सेवाओं के निर्यात से प्राप्त होने वाले लाभ उनके अन्य निर्यात आय के समान छूट के पात्र होंगे। इन क्षेत्रों से बाहर स्थित इकाइयां भी ऐसी निर्यात आय पर कर

छूट का लाभ प्राप्त करेंगी। मैं आगे यह प्रस्ताव करता हूँ कि आयकर अधिनियम की धारा 10क और 10ख के अंतर्गत कंपनियों के स्वामित्व के अंतरण से संबंधित शर्त उन कंपनियों के संबंध में लागू नहीं होगी, जिनमें जनता पर्याप्त रूप से दिलचस्पी रखती है।

"नाबार्ड", राष्ट्रीय आवास बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की आय को उनके कार्यकरण के प्रारम्भिक वर्षों में राजकोषीय समर्थन प्रदान करने की दृष्टि से छूट दी गई थी। अब ये संस्थाएं परिपक्व हो गई हैं और वाणिज्यिक आधार पर कार्यरत हैं। अतएव, मैं इन संस्थानों को उपलब्ध कर संबंधी छूट को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ।

कतिपय विदेशी वाणिज्यिक उधारों (ई.सी.बी.) पर देय ब्याज को इस समय कर से छूट प्राप्त है। इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि ऋणदाता द्वारा प्राप्त ब्याज उसके निवास देश में कर योग्य है और उसे भारत में उसके द्वारा अदा किए गए किसी कर के लिए क्रेडिट मिलेगा, मेजबान देश में कर देयता से कोई भी छूट ऋणदाता को कोई लाभ प्रदान नहीं करती परंतु उससे हमारे कर राजस्व में कमी होती है। अतएव, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ऐसे विदेशी वाणिज्यिक उधारों पर अदा किए गए ब्याज के संबंध में कर की छूट पहली जून, 2001 को अथवा उसके बाद लिए गए ऐसे उधारों के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

इस समय 12,000 रुपए की सीमा तक कतिपय ब्याज संबंधी आय धारा 80ठ के अधीन छूट योग्य है। इसके अतिरिक्त, सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाली आय भी 3000 रुपए तक छूट योग्य है। मैं इस छूट की अधिकतम सीमा घटाकर 9,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

घरेलू कंपनियों के लाभांशों के वितरण पर और म्युचुअल फंडों तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों के संबंध में आय पर देय कर को पिछले वर्ष 10% से बढ़ाकर 20% किया गया था। पूंजी बाजार के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए मैं इस कर को घटाकर 10% करने का प्रस्ताव करता हूँ।

प्राथमिक निर्गमों में निवेशक की दिलचस्पी बहाल करने में सहायता देने के लिए मैं प्रतिभूतियों और यूनिटों की बिक्री से होने वाले दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभों को छूट देने का भी प्रस्ताव करता हूँ अगर ऐसे अभिलाभों का सरकारी कंपनियों के शेयरों के प्रारंभिक इशू में पुनः निवेश किया जाता है।

महोदय, आधारभूत संरचना सुविधाओं के लिए करावकाश के रूप में कर संबंधी प्रोत्साहन को और युक्तिसंगत और विस्तृत करने का प्रस्ताव किया जाता है। आधारभूत संरचना के मुख्य क्षेत्रों यथा,

सड़कों, राजमार्गों, रेल प्रणाली, जल शोधन और आपूर्ति, सिंचाई, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंध प्रणालियों के लिए मैं अब दस-वर्षीय करावकाश का प्रस्ताव करता हूँ, जिसे प्रारंभिक बीस वर्षों के दौरान लिया जा सकता है। विमानपत्तनों, पत्तनों, अन्तर्देशीय पत्तनों, और जलमार्गों, औद्योगिक पाकों और विद्युत के उत्पादन और वितरण, जो दीर्घावधि में वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बन जाते हैं, के मामले में प्रारंभिक पंद्रह वर्षों के दौरान लिए जाने वाले दस-वर्षीय करावकाश का प्रस्ताव किया जा रहा है। विद्युत और औद्योगिक पाकों के लिए व्यापार को प्रारंभ करने की अवधि भी 31 मार्च, 2006 तक बढ़ाई जा रही है।

दूरसंचार क्षेत्रक को पांच-वर्षीय करावकाश और आगामी पांच वर्षों के लिए 30% की छूट दिनांक 31 मार्च, 2001 तक उपलब्ध थी। मैं दिनांक 31 मार्च, 2003 को अथवा उसके पहले अपना प्रचालन प्रारंभ करने वाली इकाइयों के लिए इस रियायत को भूतलक्षी प्रभाव से पुनः लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। ये रियायतें इंटरनेट सेवा प्रदायकों और ब्रॉडबैंड नेटवर्क को भी दी जाएंगी।

महोदय, आधारभूत संरचना के विकास के लिए प्रस्तावित करावकाश के अतिरिक्त, दीर्घावधिक वित्त प्रदान करने वाले अथवा आधारभूत संरचना सुविधा प्रदान करने में संलग्न उद्यमों की इक्विटी पूंजी में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए भी कर संबंधी प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। ब्याज, लाभांशों अथवा ऐसे निवेशों से दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभों से होने वाली आय पूर्णतः छूट प्राप्त है। मैं आधारभूत संरचना उद्यमों से वित्तीय संस्थानों द्वारा अर्जित गारंटी कमिशन और ऋण वृद्धि फीस को यह रियायत देने का प्रस्ताव करता हूँ। सहकारी बैंक भी अनुमोदित आधारभूत संरचना सुविधाओं में निवेशों से होने वाली अपनी आय पर छूट के पात्र होंगे।

वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी होने के लिए हमारी कंपनियों को अनुसंधान और विकास के लिए अपना निवेश और व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। इस समय, कतिपय क्षेत्रों में कंपनियों के आंतरिक अनुसंधान और विकास पर व्यय के 150% की भारांशित छूट कंपनियों को अनुमत्य है। महोदय, मैं इस भारांशित छूट को जैव-प्रौद्योगिकी तथा नैदानिक परीक्षणों, पेटेंट दाखिल करने और विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भी प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि इंडिया मिलेनियम मिशन, 2020 के अधीन निर्दिष्ट परियोजनाओं को अदा की गई पूरी राशि 125% भारांशित छूट के लिए पात्र होगी।

औद्योगिक आधारभूत संरचना के विकास को बढ़ावा देने के लिए मैंने पिछले वर्ष विशेष आर्थिक क्षेत्रों में प्रचालनरत इकाइयों को दस वर्षों की अवधि के लिए निर्यात लाभों की 100% छूट

प्रदान की थी। मैं अब इन क्षेत्रों के विकास के लिए और कर प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव करता हूँ। 10-वर्षीय करावकाश के रूप में आधारभूत संरचना के लिए उपलब्ध रियायतें उसी प्रकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों के प्रवर्तकों को उपलब्ध होंगी जिस प्रकार वे औद्योगिक पार्क के प्रवर्तक को उपलब्ध होती हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए दीर्घावधिक निवेश करने वाले निवेशकों को आय को भी छूट प्राप्त होगी।

खाद्यान्नों का भंडारण और उनकी दुलाई हमारी मुख्य चिंता है। महोदय, मैं खाद्यान्नों की संभाल, दुलाई और भंडारण के एकीकृत व्यापार में लगे उद्यमों को आगामी पांच वर्षों के लिए पांच वर्षों का करावकाश और लाभों पर 30% की छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

महोदय, उन उद्योगों का संवर्धन करने के लिए जो ताजगी प्रदान करने वाले चाय का प्याला देते हैं, मैं चाय उद्योग के लिए उपलब्ध विकास संबंधी छूट को 20% से बढ़ाकर 40% करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस अतिरिक्त छूट का प्रयोग केवल पुनःबागवानी, कायाकल्प करने और चाय बागानों तथा प्रसंस्करण सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए किया जाएगा।

नौवहन उद्योग की लंबे समय से मांग रही है कि जहाजों और अन्तर्देशीय जल पोतों के संबंध में उपलब्ध मूल्यहास की दर बढ़ाई जाए। मैं मूल्यहास की दर 25% बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।

वस्त्रोद्योग क्षेत्र के बुनाई, प्रसंस्करण और वस्त्र क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मैं प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अधीन खरीदे गए संयंत्रों और मशीनरी पर 50% की दर पर त्वरित मूल्यहास की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ।

इस समय मंदी का सामना कर रहे वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र को बढ़ावा देने की दृष्टि से मैं एक वर्ष के लिए नए वाणिज्यिक वाहनों पर 50% की दर से त्वरित मूल्यहास की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ।

अपने पिछले तीनों बजटों में मैंने आवास क्षेत्र के लिए कर प्रोत्साहन बढ़ाने की व्यवस्था की है। उसी प्रथा को जारी रखते हुए, मैं स्वयं के कब्जे वाले आवासों के लिए आवास ऋणों पर देय ब्याज की छूट की अधिकतम राशि एक लाख रुपए से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

गृह संपत्ति से आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को मरम्मत आदि के लिए वार्षिक मूल्य के 25% की वर्तमान छूट बढ़ाकर 30% किया जाना प्रस्तावित है। तथापि, आवास ऋणों पर ब्याज के भुगतान पर किए जाने वाले व्यय को छोड़कर कोई और छूट नहीं होगी।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

मैं जीवन बीमा निगम के प्रीमियम के भुगतानों पर छूट के रूप में अनुमत्य कर प्रोत्साहन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सभी बीमा कंपनियों को देने का प्रस्ताव करता हूँ।

भारत में बहुराष्ट्रीय उद्यमों की उपस्थिति और अन्तर-समूह लेन-देनों में कीमतों के नियंत्रण द्वारा विभिन्न क्षेत्राधिकारों में लाभ आवंटित करने की उनकी योग्यता ने अंतरण मूल्यनिर्धारण के मुद्दे को गंभीर चिंता का विषय बना दिया है। मैंने अंतरण मूल्य-निर्धारण के मुद्दे की जांच करने के लिए नवम्बर, 1999 में एक विशेषज्ञ दल गठित किया था। उनकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें अंतरण मूल्य-निर्धारण विधान के लिए विस्तृत ढांचे का प्रस्ताव किया गया है। इन सिफारिशों के आधार पर वित्त विधेयक में आवश्यक विधायी परिवर्तन किए जा रहे हैं।

दृष्टी टीलीविजन प्रसारण चैनलों पर अब से आय कर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिकल्पित उनकी आय पर भारत में कर लगाया जाएगा।

महोदय, मैं ऐसे कई उपाय करने का प्रस्ताव करता हूँ जो करदाता के अनुकूल हो। आयकर विभाग द्वारा वापसी देने, पुनः निर्धारण करने और निर्धारणों को पुनः खोलने के लिए समय सीमा कम किया जाना प्रस्तावित है। विभाग को अब किसी निर्धारित को देय वापसी राशि रोकने का भी अधिकार नहीं होगा। इसी प्रकार, अचल संपत्ति के स्थानान्तरण से पूर्व निर्धारणकर्ता अधिकारियों से धारा 230क के अधीन कर निपटान प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं होगी। मैं दंड की मात्रा का निर्णय करने के लिए इस समय उपलब्ध विवेकाधिकार को भी हटाने का प्रस्ताव करता हूँ। अब से अधिकांश चूकों के लिए दंड की नियत राशि देय होगी।

कर छूट प्राप्त करने के लिए कतिपय शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों को अनुमोदित किया जाना अपेक्षित है। इस समय इन संस्थानों को अनुमोदन के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अपने आवेदन दाखिल करने होते हैं। महोदय, मैं यह अधिकार मुख्य आयुक्त, आयकर को प्रत्यायोजित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

महोदय, प्रत्यक्ष करों पर इस बजट में किए गए मेरे प्रस्तावों से 5,500 करोड़ रुपए की राजस्व हानि हो सकती है। जिसे मैं कर वसूली में तेजी और वर्धित स्वैच्छिक अनुपालन से पूरा करने का प्रस्ताव करता हूँ। मेरा अनुमान है कि वर्ष 2001-2002 में प्रत्यक्ष कर राजस्व की राशि 84,800 करोड़ रुपए होगी।

अध्यक्ष महोदय, इन प्रस्तावों से मैं केन्द्र के लिए 163031 करोड़ रुपए की कुल कर राजस्व प्राप्ति और 116314 करोड़ रुपए अथवा सकल घरेलू उत्पाद के 4.7% के राजकोषीय घाटे का

अनुमान करता हूँ। मैंने इससे कम राजकोषीय घाटे की व्यवस्था की होती परन्तु वह केवल विकास को जोखिम में डालकर ही संभव होता, जो अस्वीकार्य था।

यह बजट आर्थिक सुधारों के द्वितीय चरण को आगे ले जाने के लिए है। यह प्रगति और विकास का बजट है। यह क्षमता के साथ समानता के लिए बजट है। यह नई सहस्राब्दि में भारत के लोगों को नई आशाएं प्रदान करने वाला बजट है।

अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं इस महान सदन के समक्ष बजट प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.52 बजे

वित्त विधेयक, 2001*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए केन्द्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले वित्त विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

“कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए केन्द्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले वित्त विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: वित्त विधेयक पुरःस्थापित हुआ। अब सभा गुरुवार, 1 मार्च, 2001 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.53 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 1 मार्च, 2001/
10 फाल्गुन, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे
तक के लिए स्थगित हुई।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2 खंड-2, दिनांक 28.2.2001 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।
